PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

मार्च 2020 | अंक-1

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन

प्रगतिशील नजरिया

- वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 : एक अवलोकन
- बोडो शांति समझौता : असम के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज
- भारत-ब्राजील संबंधों में नए आयाम
- भारत-तुर्की संबंधों में उतार-चढ़ाव के मायने
- पोर्नोग्राफी का बच्चों एवं समाज पर प्रभाव
- भारत में सरोगेसी : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME 2020

OUR EMINENT PANELISTS

Mr. S.Y QURAISHI
Ex. CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Mr .VIVEK KATJU
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. SHASHANK
FORMER FOREIGN SECRETARY

Mr. N.C. SAXENA
Ex. SECRETARY, GOVT. OF INDIA

Mr. NOOR MOHAMMED
IAS TOPPER 77 BATCH
Ex. ELECTION COMMISSIONER
Ex. VICE CHANCELLOR (AMU)

Mrs. MEERA SHANKER
FORMER AMBASSADOR

Mr. MANJEET SINGH
RETD. IAS
Ex. SECRETARY FINANCE, HOME

Mr. AJAY SHANKER
RETD. IAS

Mr. VIKRAM SINGH
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. VIBHUTI NARAIN RAI
RETD. IPS
Ex. DGP (UP)

Mr. S.K. MISRA
RETD. IRS, Ex. MEMBER REVENUE BOARD

Mr. A.H.K GHAURI
Ex. GOVERNANCE ADVISOR, BRITISH HIGH COMMISSION

Mr. C. UDAY BHASKAR
DEFENCE & STRATEGIC ANALYST

Mr. QAMAR AGHA
WIDELY ACCLAIMED SR. JOURNALIST

PROF. ARUN KUMAR
ECONOMIST

PROF. C.K. VARSHNEY
FORMER DEAN OF SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (JNU)

STARTING FROM 1ST FEB 2020

Salient Features:

5 Members Board Mock Videos	Content Booklets: Current Affairs, Questionnaire, Hobbies, Different States

PRIOR REGISTRATION IS MANDATORY

011-49274400

25B, 2nd Floor, Metro Pillar No. 117, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, New Delhi
A 12, 13, 201 2nd Floor, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Send your DAF to dhyeyaonline@dhyeyaias.com

9205274744 / 9205274743

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकार के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

मार्च-2020 | अंक-01

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन : प्रगतिशील नजरिया
- वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 : एक अवलोकन
- बोडो शांति समझौता : असम के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज
- भारत-ब्राजील संबंधों में नए आयाम
- भारत-तुर्की संबंधों में उतार-चढ़ाव के मायने
- पोर्नोग्राफी का बच्चों एवं समाज पर प्रभाव
- भारत में सरोगेसी : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन : प्रगतिशील नजरिया

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारों एवं समानता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन देने का आदेश सुनाया जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में महिलाओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था जिसे अभी तक केन्द्र सरकार ने लागू ही नहीं किया था।

परिचय

देश में महिलाएँ 88 वर्षों से सेना में हैं। सबसे पहले वर्ष 1927 में महिलाओं को सेना में नर्सिंग सेवाओं के लिए भर्ती किया गया था। उसके बाद वर्ष 1943 में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर उन्हें सेना में जगह मिली। लंबे अंतराल के बाद साल 1992 में भारतीय सशस्त्र सेना की अन्य इकाईयों में भी महिलाओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। आरंभ में महिलाओं को महिला विशेष प्रवेश योजना (WSES) के तहत कुछ चुनिंदा शाखाओं जैसे सेना डाक सेवा, जज एडवोकेट जनरल विभाग, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, सिंग्नल कार्प्स, इंटेलीजेंस कार्प्स आदि में पाँच वर्ष की अवधि के लिए कमीशन किया गया। दिसंबर 1996 में रक्षा मंत्रालय ने पाँच वर्षों की सीमा को हटा दिया। नवंबर 2005 में महिला विशेष प्रवेश योजना को शार्ट सर्विस कमीशन से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके तहत महिलाओं को सेना में 10 वर्ष के लिए कमीशन दिया जाने लगा जिसे विशेष परिस्थितियों में 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था।

शार्ट सर्विस कमीशन के तहत महिला अधिकारियों का पहला दल वर्ष 2008 में भर्ती हुआ, और इसी वर्ष सेना की दो शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया, जिसमें जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कोर शामिल हैं।

स्थायी कमीशन से संबंधित मामला पहली बार वर्ष 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने आया जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की विभिन्न महिला अधिकारियों ने सेना में स्थायी कमीशन और अवसरों की समानता की माँग रखी थी। मार्च 2010 में दिल्ली उच्च-न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को वायुसेना तथा थल सेना में पुरुष शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के समान ही स्थायी कमीशन का विकल्प दिया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें पुरुष अधिकारियों के समान ही अन्य लाभ भी दिये जाने चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश महिलाओं के पक्ष में था लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया बल्कि सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि सभी सेवारत महिलाएँ स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी। महिला अधिकारी भी गैर-युद्धक क्षेत्रों में कमांड पदों के लिए पात्र होंगी क्योंकि कमांड पदों पर नियुक्तियों में पूर्ण रोक अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के विपरीत है।

सशस्त्र बलों में महिलाएँ

भारत की सीमाओं की सुरक्षा एवं देश में आंतरिक शांति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है जिसके लिए सरकार ने भारतीय सशस्त्र बल का गठन किया है। इन सशस्त्र बलों में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल आदि को शामिल किया जाता है।

वर्तमान समय में युद्धक भूमिका में केवल लड़ाकू पायलटों के रूप में ही महिलाओं को शामिल किया गया है। सेना के 42,253 अधिकारियों में केवल 3.8 प्रतिशत, नौसेना के 10,393 अधिकारियों में से 6 प्रतिशत और वायुसेना के 12,404 अधिकारियों में 13.1 प्रतिशत अधिकारी ही महिलाएँ हैं।

महिलाएँ पहले से ही वायु सेना में युद्धक भूमिकाओं में शामिल हैं पिछले वर्ष ही पहली लड़ाकू महिला पायलट को वायुसेना में शामिल किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2016 में तीन महिला पायलटों भावना कंठ, अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह की नियुक्ति पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गयी थी।

शार्ट सर्विस कमीशन (SSC)

भारतीय सैन्य सेवा में महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से भर्ती की जाती है जिसके बाद वे 14 साल तक सेना में नौकरी कर सकती हैं। इस अवधि के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि 20 साल तक नौकरी न कर पाने के कारण रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती है। सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के नियम कानून समय-समय पर बदलते रहे। पहले इसके तहत भर्ती महिलाएं केवल 10 साल तक ही नौकरी कर पाती थीं। शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का मकसद अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की मदद करना था। इसके तहत सेना में बीच के स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

स्थायी कमीशन से क्या बदलेगा

स्थायी कमीशन दिये जाने का मतलब यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं। अगर वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। अब तक शार्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में नौकरी कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। स्थायी कमीशन के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी।

युद्धक-भूमिका में महिलाओं के लिए कठिनाई

महिलाओं में अधिक ऊँचाई, रेगिस्तानी इलाकों, क्लीयरेंस डाइविंग और हाईस्पीड एविएशन (G-Forces) जैसे कठिन इलाकों में गैर-युद्धक चोटें देखी जाती हैं। इसके साथ ही महिला-पुरूष के बीच कद, ताकत और शारीरिक संरचना में प्राकृतिक विभिन्नता के कारण महिलाएँ चोटों और चिकित्सकीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह समस्या विशेष रूप से गहन प्रशिक्षण के दौरान होती है। इसके अलावा महिलाओं को अपने परिवार विशेष रूप से बच्चों से काफी अधिक लगाव होता है। इसलिए युद्ध की स्थिति में लम्बे समय तक महिलाओं का अपने परिवार से अलग रहना उनेक मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

महिला अधिकारियों को युद्ध संबंधी भूमिका न देने के पीछे अकसर ये दलीलें दी जाती हैं कि शारीरिक तौर पर वे पुरुषों के मुकाबले कमतर हैं। वे असाधारण परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकती हैं। महिलाएँ लगातार बीस दिनों तक गश्त पर नहीं जा सकतीं, सियाचिन जैसी जगहों पर काम नहीं कर सकतीं। महिलाओं को पुरुष जवानों के साथ रहने में परेशानी होगी, इत्यादि। इसके अतिरिक्त महिलाओं के संबंध में यह भी कहा जाता है कि यदि उन्हें युद्धबंदी बना लिया जायेगा तो उनके साथ अत्यधिक अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति रूढ़ीवादी सोच, पितृसत्तातमक सामाजिक व्यवस्था तथा महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी जिम्मेदार है।

जाहिर है ये दलीले तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि महिलाओं को घर और घर के बाहर किसी भी मोर्चे पर अगर बराबरी का दर्जा दिया गया है तो कठिन से कठिन हालातों में भी खुद को साबित किया है चाहे फिर वो राजनीति हो, खेल हो, प्रशासनिक सेवा हो या सेना सभी क्षेत्रों में महिलाएँ पुरुषों के ही समान जिम्मेदारी और क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है। इसी का प्रमाण है कि वर्ष 2000 में कमीशन प्राप्त करने वाली लेफ्टीनेंट कर्नल मिताली मधुमिता को 2010 में काबुल में भारतीय दूतावास में हुए हमले के दौरान दिखाये गये उनके निर्विवाद साहस के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला थीं। इसके अलावा भारत की डॉ. सीमा राव जो 'भारत की वंडर ह्यूमैन' के नाम से जानी जाती हैं, भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर हैं, जिन्होने भारत के 15,000 से अधिक विशेष बल के कर्मियों को प्रशिक्षित किया है।

वैश्विक स्तर पर सेना में महिलाएँ

वैश्विक स्तर पर भी सेनाओं में महिलाओं का युद्ध के अग्रणी मोर्चे को संभालना विवादास्पद मुद्दा रहा है। हालांकि नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार, कम से कम 16 देशों में महिलाओं को सेना में युद्धक भूमिका में सेवा देने की इजाजत दी गई है। कुछ देशों की सेना में महिलाओं की स्थिति निम्नानुसार है-

- **अमेरिकाः** 2016 में अमेरिकी सरकार ने प्रतिरक्षा विभाग, पेंटागन के प्रतिबंध को खत्म करते हुए महिलाओं को युद्ध के अग्रणी मोर्चे पर काम करने की अनुमति दे दी। हालांकि अमेरिकी वायुसेना व नौसेना में 1990 के दशक की शुरूआत में ही महिलाओं ने लड़ाकू अभियानों में भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। अमेरिकी थल सेना में युद्ध मोर्चे पर जाने की इजाजत मिलने के तीन साल के अंदर ही 2019 तक 2906 महिला सैनिकों को स्थलीय युद्ध में अहम पदों में नियुक्ति दी जा चुकी थी।
- **ब्रिटेनः** 2018 में ब्रिटिश सेना ने महिलाओं के अग्रणी युद्ध मोर्चे पर सेवा देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया था। साथ ही उन्हें एलीट स्पेशल फोर्स में काम करने की भी हरी झंडी दे दी गयी थी।
- **कनाडा, इजराइल व डेनमार्क :** इन तीनों ही देशों ने 80 के दशक के दौरान अपनी सेनाओं में महिलाओं को युद्धक भूमिका में नियुक्ति दे दी थी। कनाडा ने 1989 में, इजराइल ने 1985 में और डेनमार्क ने 1988 में यह काम शुरू किया था। हालांकि इजराइल में महिलाओं को सेना में शामिल करने का काम 1948 में उसके गठन के साथ ही शुरू हो गया था और वहां की महिलाओं को कम से कम दो साल मिलिट्री में काम करना अनिवार्य है।
- **नार्वेः** 1980 के मध्य में नार्वे पहला नाटो देश बना था, जिसने महिलाओं को पूरी तरह युद्धक भूमिका निभाने की अनुमति दी थी।
- **चीनः** चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स (पीएलएजीएफ) में महिला अधिकारियों की संख्या 5 फीसदी या उससे भी कम है। इसका मतलब है कि पीएलएजीएफ के 14 लाख सैनिकों में महज 53000 महिलाएँ हैं।
- **पाकिस्तानः** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) के आकलन के अनुसार, पाकिस्तान की सेनाओं में 3400 महिलाएँ कार्यरत हैं। इन्हें युद्धक भूमिका देने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- **रूसः** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) के अनुसार, रूसी सेना में महिलाओं की संख्या 10 फीसदी से भी कम है और युद्धक भूमिका में इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

- सर्वोच्च-न्यायालय द्वारा महिलाओं को सेना में कमांड पदों पर नियुक्तियों में प्रतिबंधित करने से संबंधित सभी दलीलों को नकराते हुए कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः इस निर्णय के बाद महिलाओं को निम्नलिखित मामलों में सेना में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकेंगे।
- महिलाओं स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए सेवा अवधि से संबंधी सभी भेदभाव समाप्त हो जायेंगे।
- महिलाओं को सेना की युद्धक सहयोग संबंधी 10 शाखाओं में पुरुषों के समान ही स्थायी कमीशन प्रदान किया जायेगा यदि वे इसका विकल्प चुनती हैं।
- अब महिलाएँ सिर्फ स्टॉफ नियुक्ति तक ही सीमित नहीं रहेंगी।
- इससे महिलाओं की उच्च पदों पर पदोन्नति की राह आसान हो जायेगी और उन्हें पेंशन आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी जो सेना में 20 वर्षों की सेवा के बाद ही मिलती है।
- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सेना में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और भविष्य में युद्धक भूमिका में महिलाओं की सीधी तैनाती के रास्तें भी खुलेंगे।
- इसने महिलाओं को सेना में उनकी उचित स्थित और अधिकार प्रदान करने में मदद होगी, जो आखिरकार सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थित को बढ़ाने में मददगार होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं के साथ अन्य क्षेत्रों में होने वाले भेदभाव को कम करने में भी पड़ेगा और महिलाएँ अपने

अधिकारों की मांग के लिए आगे आयेंगी।

- महिलाएँ सेना के उच्च पदों पर पहुँचेगी तो सेना की सस्कृति, मानकों और मूल्यों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही सेना में शीर्ष स्तर पर तथा राजनीतिक नेतृत्व में जिम्मेदारी का महत्व बढ़ेगा।
- सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सरकार के पास महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

हालांकि सीधे तौर पर युद्धक भूमिका में महिलाओं को शामिल करने से संबंधित कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया क्योंकि इसका याचिका में कोई जिक्र नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

वास्तविकता यह है कि लैंगिक भेदभाव की वजह से ही महिलाएँ पुरुषों से पीछे रह जाती हैं उनकी काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं है। अनुशासन, समर्पण, पराक्रम और सेना की प्रतिष्ठा बनाये रखने में महिलाएँ पुरुषों से कम नहीं हैं। सेना में कई बार ऐसे मौके आये हैं, जबकि महिलाओं ने स्वयं को सक्षम साबित करके दिखाया है। सेना में उपलब्धियों और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर शक करना महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान होगा। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणति हो चुका है कि महिलाएँ तनाव को कम करने में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर होती हैं साथ मनोवैज्ञानिक रूप में भी महिलाएँ इसके लिए तैयार होती हैं।

फौज एक समान रूप (Seamless) संस्था के रूप में काम करती है, इसलिए महिलाओं का पुरुषों के साथ काम करने से राह आसान ही होगी। अर्थात जब जवान के स्तर पर महिलाएं शामिल होंगी तभी पुरुष जवानों का महिला अफसरों पर विश्वास मजबूत होगा और सेना सशक्त होकर उभरेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें उचित प्रशिक्षण और समुचित वातावरण प्रदान किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

2. वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index 2020) जारी किया, इस सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में देशों का मूल्यांकन स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कार्य व सुरक्षा इत्यादि पर किया गया है।

परिचय

वैश्वीकरण एवं चौथी औद्योगिक क्रांति विश्व की आर्थिक, सामाजिक प्रणालियों में मूलभूत परिवर्तनों की वाहक होगी। ये तेजी से हो रहे परिवर्तन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नये अवसरों की ओर ले जा रही है। इसके अलावा वैश्वीकरण और चौथी औद्योगिक क्रांति ने समाज को बहुत लाभ पहुँचाया है, अरबों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है और लाखों लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। प्रारंभ के तीन औद्योगिक क्रांतियों में प्रत्येक बाद की औद्योगिक क्रांतियों ने अवसर की समानता को बढ़ावा दिया है, और यही आर्थिक नीतियाँ सामाजिक गतिशीलता का मुख्य वाहक रही हैं, जिन्होंने लंबी अवधि में अधिक समावेशी, गतिशील अर्थव्यवस्थओं और समाजों का नेतृत्व किया। उदाहरण के लिए उन्नीसवीं और बींसवी शताब्दी के दौरान हुए औद्योगिक आधुनिकीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी के अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अवसर की समानता का विस्तार होने से पारंपरिक रूढ़ीवादी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण चक्र बना। इसका मुख्य कारण था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में आनुषांगिक निवेश। शिक्षा में निवेश ने एक ऐसी समाजिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जहाँ लोग अपने अवसरों का लाभ उठा सकते है।

हालांकि इसका दूसरा श्याह पक्ष यह है कि उपरोक्त सामाजिक गतिशीलता के पारिस्थितिक तंत्र में, हाल के वर्षों में अत्यधिक गिरावट देखने को मिली है जिसका मुख्य कारण विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ विभिन्न लोक सेवाओं (जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना तथा पर्यावरणीय अनदेखी आदि) में तुलनात्मक रूप से कम निवेश रहा है। इस तरह की नीतियों ने सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में तेजी से विकास की ओर अग्रसर देशों में भी आर्थिक असमानता की खाई तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती असमानता के सामाजिक और आर्थिक परिणाम गहरे और दूरगामी हैं जैसे-अनुचित भावना, अनिश्चितता, पहचान और सम्मान की क्षति, सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करना, विभिन्न संस्थाओं में विश्वास में कमी, राजनीतिक प्रक्रियाओं से मोह भंग, तथा सामाजिक बंधनों का क्षरण आदि।

सामाजिक गतिशीलता क्या है

सामाजिक गतिशीलता को किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन (माता-पिता की तुलना में) के रूप में समझा जा सकता है अर्थात् व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसके माता-पिता की परिस्थितियों की तुलना में 'उच्च स्तर' (Upward) की हैं या उससे 'निम्न स्तर' (Downward) की हैं। कुल मिलाकर यह एक बच्चे के लिये अपने माता-पिता की तुलना में बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता है, जबकि सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले परिणामों पर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का आकलन है।

सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न आयाम

- **अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता:** किसी व्यक्ति के अपने जीवनकाल के दौरान स्वयं को सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बीच स्थानांतरित करने की कम क्षमता।
- **अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता:** एक या अधिक पीढ़ियों की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक उतार-चढ़ाव को ऊपर

या नीचे करने में एक पारिवारिक समूह की व्यापक क्षमता।

- **पूर्ण आय गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की अपने जीवन के दौरान अपने माता-पिता की तुलना में अधिक या वास्तविक आय अर्जित करने की क्षमता।
- **पूर्ण शैक्षिक गतिशीलता:** किसी व्यक्ति के लिये अपने माता-पिता की तुलना में उच्च शिक्षा स्तर प्राप्त करने की क्षमता।
- **सापेक्ष आय गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की आय का कितना हिस्सा उनके माता-पिता की आय से निर्धारित होता है।
- **सापेक्ष शैक्षिक गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की शिक्षा प्राप्ति का कितना हिस्सा उनके माता-पिता की शैक्षिक प्राप्ति से निर्धारित होता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक-निजी सहयोग के द्वारा विश्व की आर्थिक स्थित में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका उद्देश्य विश्व के व्यवसाय की राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अनुसार सामाजिक बदलाव में दस फीसदी वृद्धि से सामाजिक एकता को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब पांच फीसदी बढ़ सकती है।
- यह दर्शाता है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान है।
- रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ अर्थव्यवस्थाओं में ही ऐसी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु सही परिस्थितियां हैं। यदि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाए तो सबसे ज्यादा लाभ चीन, अमेरिका, भारत, जापान एवं जर्मनी को हो सकता है।
- इस सूची में नॉर्डिक देश शीर्ष पांच स्थानों पर काबिज हैं। इस सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क (85 अंक) है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है। शीर्ष दस देशों की सूची में नीदरलैंड (6वें), स्विट्जरलैंड (7वें), ऑस्ट्रिया (8वें), बेल्जियम (9वें) और लक्जमबर्ग (10वें) स्थान पर हैं।
- जी-7 अर्थव्यवस्थाओं में, जर्मनी सबसे बेहतर स्थिति के साथ 11वें स्थान पर, फ्रांस 12वें, कनाडा 14वें, जापान 15वें, यूनाइटेड किंगडम 21वें, संयुक्त राज्य अमेरिका 27वें और इटली 34वें स्थान पर है।
- ब्रिक्स देशों में रूस 39वें स्थान पर, चीन 45वें स्थान पर ब्राजील 60वें, भारत 76वें और दक्षिण अफ्रीका 77वें स्थान पर है।

सामाजिक गतिशीलता सूचकांक की गणना:

विश्व आर्थिक मंच ने सामाजिक गतिशीलता सूचकांक का निर्धारण पाँच प्रमुख आयामों और इनसे संबंधित 10 स्तंभों के आधार पर किया है जो निम्नलिखित हैं-

1 स्वास्थ्य (Health)

2. शिक्षा: पहुँच, गुणवत्ता और समानता, जीवनपर्यत अध्ययन, (Education: Access, Quality and Equity, Lifelong Learning)
3. प्रौद्योगिकी (Technology)
4. कार्य: अवसर ,मजदूरी/ वेतन , शर्तें (Work: Opportunities, Wages/salaries, Conditions)
5. संरक्षण और संस्थाएँ: सामाजिक संरक्षण और समावेशी संस्थानों (Protection and Institutions: Social Protection and Inclusive Institutions)

स्तंभ 1: स्वास्थ्य: यह विभिन्न देशों को उनकी आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की क्षमता को मापता है। उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका सामाजिक गतिशीलता क्षमता पर आजीवन प्रभाव पड़ता है।

स्तंभ 2-4: शिक्षा ये तीन स्तंभ-शिक्षा की पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता एवं समानता, और जीवनपर्यंत सीखना- आदि की पहचान करते हैं। इसमें शिक्षा की आम लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों की क्षमता को मापती हैं और यह सुनिश्चित करता हैं कि उनके सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सभी नागरिकों को जीवन भर उच्च शिक्षा उपलब्ध हो।

स्तंभ 5: प्रौद्योगिकी पहुँच: प्रौद्योगिकी पहुँच स्तंभ आबादी के बीच प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसे अपनाने के स्तर को मापता है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सामाजिक समानता की पृष्ठभूमि के बावजूद हर किसी को जानकारी प्रदान करके, लोगों को अधिक से अधिक सशक्त करने की क्षमता है। ऑनलाइन शिक्षण के उद्भव ने सीखने के संसाधनों की बाधाओं को कम किया है। औपचारिक शिक्षा संरचनाओं के साथ-साथ, ऑनलाइन शिक्षण आजीवन सीखने की पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्तंभ 6-8 निष्पक्ष कार्य के अवसर: ये तीन स्तंभ- कार्य के अवसर, निष्पक्ष मजदूरी और कार्य स्थितियाँ अर्थव्यवस्थाओं के लिए काम के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने, अच्छी कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों को उनकी शिक्षा स्तर और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उचित वेतन प्रदान करने की क्षमता को मापते हैं। सामाजिक गतिशीलता के परिणाम शिक्षा पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, लेकिन वे सीधे श्रम बाजार के कारकों से भी संबंधित होते हैं। आय की गतिशीलता को सक्षम करने के लिए कौशल विकास को अवसरों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

स्तंभ 9-10 सामाजिक संरक्षण और समावेशी संस्थाएँ: ये दो स्तंभ अर्थव्यवस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा, और समावेशी संस्थानों द्वारा उनकी आबादी के लिए कुशल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को मापते हैं।

भारत की रैंकिंग

- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने उचित मजदूरी वितरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है। जीवन पर्यत शिक्षा तथा कार्यस्थल की परिस्थितियों में भी सुधार आया है।
- सूचकांक में भारत उन 5 देशों में शामिल है जो सामाजिक गतिशीलता को बेहतर बनाकर सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह सूचकांक हर व्यक्ति के लिए समान अवसर के आधार पर बना है।
- भारत जीवन पर्यंत अध्ययन के मामले में 41वें तथा कामकाज की परिस्थिति के स्तर पर 53वें स्थान पर है। भारत सामाजिक सुरक्षा में 76वें स्थान और उचित वेतन वितरण में 79वें स्थान पर हैं। भारत को इन क्षेत्र में

बहुत सुधार करने की जरूरत है। भारत 42.7 के स्कोर के साथ सूचकांक में 76 वें स्थान पर है।

- सूचकांक के अनुसार, भारत में एक गरीब परिवार के सदस्य को औसत आय प्राप्त करने में अभी भी सात पीढ़ियों का समय लगेगा।
- पूर्ण गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी होने के बावजूद, भारत के लिये अपनी आबादी को अधिक समान अवसर प्रदान करने के लिये सुधार के कई क्षेत्र हैं।

सामाजिक गतिशीलता और भारत

पूर्ण गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, भारत अपनी बड़ी आबादी को और अधिक समान रूप से साझा अवसर प्रदान करने तथा सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र और अवसर मौजूद हैं। जैसे-

- **पहला:** स्वास्थ क्षेत्र में भारत का स्कोर 54.6 है, जिसका प्रमुख कारण लोगों के जीवन प्रत्याशा में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का आम लोगों तक पहुँच में कमी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के गुणवत्ताहीन प्रदर्शन है।
- **दूसरा:** शिक्षा के मोर्चे पर देखा जाए तो भारत का स्कोर (शिक्षा का आम लोगों तक पहुँच) 41.1 तथा शिक्षा की गुणवत्ता और समानता के स्तर पर स्कोर 31.3 है। इसका मुख्य कारण भारत में विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात काफी उच्च हैं चाहे यह अनुपात पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा का स्तर हो सभी में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात बहुत अधिक है।
- **तीसरा:** कार्य के अवसरों की बात की जाए तो भारत की स्थिति असुरक्षित रोजगार के स्तर पर शीर्ष से दूसरे स्थान पर है। अर्थात् भारत में 76.2 प्रतिशत लोग असुरक्षित रोजगार की स्थिति में हैं। ध्यातव्य है कि सऊदी अरब में सबसे अधिक लोग असुरक्षित रोजगार की स्थिति में हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि महिला श्रमिक भागीदारी की बात की जाए तो भारत में यह 29.8% है जो कि काफी निम्न स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- **चौथा:** भारत में अगर सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करें तो भारत में सामाजिक सुरक्षा अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा समग्र सामाजिक सुरक्षा के ऊपर होने वाला व्यय भी काफी कम है, जो वर्तमान समय में जीडीपी का 2.68% है।

उल्लेखनीय है कि इन कारकों का संयोजन भारत की जनसंख्या की सामाजिक गतिशीलता के लिए हानिकारी है।

सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में भारतीय प्रयास

एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक गतिशीलता स्वयं में एक संपूर्ण प्रतिमान है तथा भारत सरकार की नीतियाँ भी इसी के विकास में प्रयासरत हैं। निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से हम भारत सरकार द्वारा सामाजिक गतिशीलता को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों को समझ सकते हैं:

- **शैक्षणिक क्षेत्र:** समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वयं (SWAYAM), शिक्षा का अधिकार (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21-क)
- **स्वास्थ्य क्षेत्र:** आयुष्मान भारत, कायाकल्प, आयुष, आँगनवाडी, सेवा, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिला योजना।
- **श्रम के क्षेत्र में:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, संकल्प योजना, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान इत्यादि।
- **तकनीकी क्षेत्र:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-शासन योजना, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक पहुँच के लिए राष्ट्रीय नीति।
- **सामाजिक सुरक्षा:** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि।

निष्कर्ष

- असमानता और सामाजिक गतिहीनता का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही सामाजिक कुप्रथाएँ, नीतियों का विसंगतिकरण एवं अर्थव्यवस्था का कुछ खास लोगों के प्रति झुकाव आदि कुछ प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में चुनौती इस बात की है कि पूर्ववर्ती दोषों का निराकरण कैसे किया जाए? हालांकि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यह संभावना जताते हैं कि यदि आर्थिक नीतियों को सही दिशा में कार्यान्वित किया जाए तो सामाजिक विषमता को काफी कम किया जा सकता है।
- इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, साथ ही कुछ विशेष क्षेत्रों को प्राथमिकता भी देना होगा। देश के चहुमुखी विकास के लिए किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसका निहितार्थ 'सबका साथ सबका विकास' में समावेशित है, साथ ही इसके बिना सामाजिक गतिशीलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. बोडो शांति समझौता : असम के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार व असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से अलग बोडो राज्य की मांग करते हुए आंदोलन चलाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के साथ ही इन संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात की ओर बोडोलैंड की मांग नहीं करने का वादा किया है।

परिचय

बोडो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके अलावा बोडो असम का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5 से 6 प्रतिशत है। लंबे समय तक असम के बड़े हिस्से पर बोडो जनजातियों का नियंत्रण रहा है। असम के चार जिलों कोकराझार, बाक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग को मिलाकर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक का गठन किया गया है। इन जिलों में कई अन्य जातीय समूह भी रहते हैं। उल्लेखनीय है कि बोडो समुदाय ने साल 1966-67 में राजनीतिक समूह प्लेन्स ट्राइल काउंसिल ऑफ असम (Plans Tribals Council of Assam-PTCA) के बैनर तले अलग बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा बोडो गुटों की मांग थी कि उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा की जाए।

बोडो शांति समझौते के प्रमुख बिंदु

केंद्र सरकार और बोडो समुदाय के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- बोडोलैंड जिसे आधिकारिक तौर पर अब तक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) कहा जाता है, इस समझौते के लागू होने के बाद इसका नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) हो जाएगा। नए समझौते की शर्तों के अनुसार बीटीआर को अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
- इसके साथ ही बीटीसी की मौजूदा 40 सीटों को बढ़ाकर 60 किया जाएगा तथा इलाके में कई नए जिलों का गठन किया जाएगा 4-7 जिले गृह विभाग को छोड़कर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सारे बीटीआर के पास रहेंगे।
- केंद्र सरकार ने नए समझौते की शर्तों पर अमल करने के लिए अगले तीन वर्षों में बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- इस समझौते के अनुसार, 'गैर-जघन्य अपराधों' (Non-Heinous, Crimes) के लिये एनडीएफबी समूहों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले असम सरकार द्वारा वापस लिये जाएंगे और जघन्य अपराध संबंधी मामलों की समीक्षा की जाएगी।
- समझौते के बाद, एनडीएफबी गुट हिंसा के मार्ग को छोड देंगे, व अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेंगे।
- बीटीएडी और संविधान की छठी अनुसूची के तहत उल्लिखित अन्य क्षेत्रों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से छूट दी गई है।
- इस समझौते के बाद भारत सरकार को उम्मीद है कि संवाद और शांति प्रकिया के तहत उग्रवादियों का मुख्य धारा में शामिल करने का सिलसिला शुरू होगा।
- समझौते के एक अन्य प्रावधान के तहत केन्द्र और राज्य मिलकर स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन और इनके पुनर्वास के लिए तीन साल तक प्रतिवर्ष 250-250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं बोडो नौजवानों को मुख्यधारा में लाने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल में विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाएगा।
- असम की एकता बरकरार रहेगी और उसकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।
- बोडो की सांस्कृतिक पहचान को बचाये रखने के लिए बोडो भाषा को असम की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा।
- असम सरकार और बोडो क्षेत्रीय एरिया के प्रशासक की अधिकारों की सूची के स्पष्ट बंटवारे का भी प्रावधान है। इसके साथ ही सरकार ने समझौते में उस इलाके में केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान खोलने का वादा किया है।

बोडोलैंड का मुद्दा

असम में बोडोलैंड का मुद्दा तथा इससे जुड़ा विवाद छह दशक पुराना हे। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वे साल 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है। बोडो का कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी आजीविका एवं पहचान को खतरा है।

साल 1980 के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ तीन धाराओं में बंट गया था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने पहली धारा का नेतृत्व किया जो अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा संगठन बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स (बीटीएफ) है जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की, तीसरा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) था जिसने समस्या के राजनीतिक समाधान की मांग की थी।

हाल ही में हुए समझौते के साथ ही लगभग 50 साल से चल रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया जिसमें अब तक लगभग 2823 लोग, 239 सुरक्षाकर्मी व 939 बोडो कार्यकर्त्ता अपनी जान गंवा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि यह पिछले 27 साल में तीसरा असम समझौता है। विदित है कि पहला बोडो समझौता 1993 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हुआ था, जिसके अंतर्गत सीमित राजनीतिक अधिकारों वाली बोडोलैंड स्वायत्त परिषद् गठित की गई थी। इसके दस साल बाद, 2003 में दूसरा समझौता हुआ। इस समझौते पर उग्रवादी संगठन बोडो लिबरेशन टाइगर्स ने हस्ताक्षर किया था। इसके तहत असम के चार जिलों-कोकराझार, चिराग, बाक्सा और उलगुड़ी को मिला कर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) कहा गया और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) का गठन किया गया।

समझौते का विश्लेषण

केन्द्र सरकार एनडीएफबी के साथ शांति समझौता हो पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने उग्रवादियों से बातचीत की पहल करते हुए जो सकारात्मक रुख दिखाया, उसके चलते एनडीएफबी जैसे संगठन ने भी शांति और बातचीत के विकल्प को तवज्जो दी है। इसके अलावा उग्रवाद को लेकर सरकार के कड़े रुख ने भी उग्रवादी संगठनों को यह कड़ा संदेश दिया कि अब और ज्यादा हिंसा के रास्ते पर नहीं चला जा सकता और सरकार भी झुकने वाली नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले चार दशक से असम जिस तरह की राजनीति से रूबरू होता रहा हे, उसमें उग्रवादी गुटों को पनपने के मौके मिलते गए और सरकारों ने ऐसे मुद्दों को बातचीत से हल करने के बजाय सख्ती से कुचलने की रणनीति पर ज्यादा जोर दिया। उसी का नतीजा रहा कि आज तक पूर्वोत्तर में अलग राज्यों की मांग को लेकर उग्रवादी गुट सक्रिय रहे हैं।

जब राज्य में इनकी जमीन पर दूसरे समुदायों का अनाधिकृत प्रवेश बढ़ने लगा और बोडो लोगों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा बढ़ने लगी, तो असंतोष पनपना स्वाभाविक था। समस्या तब और गंभीर होती गई जब आंदोलन का नेतृत्व भी कई धड़ों में बंटता चला गया और फिर अलग-अलग गुटों ने हथियार उठाने को अंतिम विकल्प समझ लिया। ऐसे मे सरकार किससे बात करे, या कौन सा धड़ा सरकार से बात करे, यह अड्चन बनी रही। एक-दो धड़े साथ होते हैं तो तीसरा उनके विरोध में आ जाता हे और समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली जाती है। यही बोडोलैंड आंदोलन के साथ भी हुआ।

फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती ये है कि वह बोडो क्षेत्रों में विकास के काम तत्काल शुरू करे। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (बीटीसी) को और अधिकार दिए जाएँ। मूल बात विकास की है। अगर सरकार बोडो इलाकों के आर्थिक विकास और राजनीतिक मसलों पर ध्यान दे, नौजवानों को रोजगार मिले तो कोई कारण नहीं कि बोडो समुदाय हथियार उठाने को मजबूर हो। यह समझौता शांति की दिशा में बड़ी पहल है, इसलिए हर पक्ष को अमल भी ईमानदारी से करना होगा।

चुनौतियाँ

प्रतिबंधित संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) और असम सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके बाद इलाके की दशकों पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। इस संदर्भ में आने वाले चुनौतियों का जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- लगभग सभी विद्रोही समूहों का सशस्त्र ढाँचा होता है, जो संघर्ष विराम के बाद भी बरकरार रहता है। इन समूहों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बावजूद हिंसा में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है और न ही उनके संसाधन कम हो रहे हैं। इस वजह से शांति व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस समझौते के विरोध में विभिन्न गैर-बोडो संगठनों ने निचले असम में बंद का आयोजन किया। इस दौरान सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा है।
- विदित हो कि उपर्युक्त संदर्भ में विरोध में गैर-बोडो संगठन यह मांग कर रहे हैं कि बोडोलैंड टेरिटोरियल डमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स (बीटीएडी) में रहने वाले सभी गैर-बोडो हितधारकों और प्रतिबंधित कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केएलओ) के लोगों को भी शांति वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए, जो शांति स्थापित करने वाले किसी भी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा है।
- एनडीएफबी लंबे अरसे से बोडो जनजाति के लिए अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग करता रहा है, लेकिन ताजा समझौते में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया हे।
- समझौते की एक अन्य बड़ी चुनौती इसका उद्देश्यरहित होना है और यह स्थानीय लोगों की समझ से भी बाहर है। बोडो से संबंधित मुद्दे न केवल असम में रहने वाले बोडो को, बल्कि अन्य जगह में बसे हुए बोडो सहित समस्त बोडो क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
- असम में शांति प्रक्रिया की राह में एक और बड़ी बाधा यहाँ अनेक संगठनों का मौजूद होना है, जो सभी बोडो का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं।
- बोडो आंदोलन जिस उद्देश्य के लिये चलाया गया था, वह अपने मूल लक्ष्यों और वैचारिक रुख से भटक रहा है। ऐसे में प्रमुख विद्रोही गुटों के नेता सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।
- इस समझौते से संबंधित एक अन्य चुनौती यह है कि संसाधनों के दोहन के लिये प्रायः सरकारें स्थानीय लोगों की अनुमति के बिना उनकी भूमि का इस्तेमाल करती हैं। यही कारण है कि सरकारी परियोजनाओं पर जनजातीय समूहों का विश्वास कम होता जा रहा है।
- विदित हो कि संसाधन संपन्न होने के बावजूद क्षेत्र में विकास, रोजगार एवं बुनियादी सुविधाएँ आज भी यहाँ के जनजातीय समूहों के लिये दूर का सपना बना हुआ है।
- बोडो टेरिटोरियल क्षेत्र में बोडो जनजाति की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है, अनेक पर्यवेक्षक मानते हैं कि बोडो समुदाय के प्रति केन्द्र के उदार रवैये से आबादी के अन्य घटकों में असुरक्षा की भावना बढ़ने का अंदेशा है।

आगे की राह

निष्कर्षतवः कहा जा सकता है कि बोडो संघर्ष के इतिहास से पता चलता है कि विभिन्न दलों द्वारा अपनी सुविधानुसार की गई भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के कारण अब तक हुए अधिकतर समझौते विफल रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान समझौते के तहत मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास सराहनीय है। इस समझौते को सफल बनाने के लिए निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- बोडो समस्या पर व्यापक समझ कायम करते हुए जनजातीय समूहों तथा अन्य लोगों की बदलती आकारक्षाओं के मद्देनजर स्वीकार्य एवं व्यापक समाधान तलाशने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- इस मुद्दे से निपटने का एक अन्य मार्ग जनजातीय समूहों में शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकण और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीयकरण हो सकता है। इससे शासन को जनोन्मुख बनाने और वृहद विकास परियोजनाओं को शुरू करने में सहजता होगी।
- सरकार को विद्रोह को रोकने व शांति बनाए रखने के लिये विदेशों से संसाधनों (हथियारों तथा धन) की उपलब्धता पर प्रभावी रोक लगाने के हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा बोडो आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के साथ इन क्षेत्रों के लिये उनकी संस्कृति एवं विकास हेतु अलग से बजट भी आवंटित किया जाना चाहिए। संभव हो तो एक नए निकाय का गठन किया जाना चाहिये, जो बोडो के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बोडों के अधिकारों की निगरानी कर सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्र में आबादी के विभिन्न हिस्से बराबरी और सहयोग की भावना से काम करेंगे तभी इस समझौते का उद्देश्य सफल होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

4. भारत–ब्राजील संबंधों में नए आयाम

चर्चा का कारण

हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का आधिकारिक दौरा संपन्न किया। ज्ञातव्य है कि वे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

परिचय

भारत और ब्राजील के बीच कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो ये 1948 में स्थापित हुए थे। इसी दौरान भारत ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में अपना दूतावास खोला था। अगस्त 1971 में इस दूतावास को ब्रासिलिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो यह कई शताब्दी पुराने हैं, जिसकी शुरुआत 'एल्वस सेबरल' के भारत आने से शुरू हुई थी। सन् 1500 में सेबरल ने ही ब्राजील की खोज की थी। जब भारत की खोज के बाद वास्को डि गामा वापस पहुंचा था तब पुर्तगाल के राजा ने सेबरल को भारत भेजा था।

गौरतलब है कि ब्राजील और भारत के संबंधों में समय के साथ उतार-चढ़ाव आता रहा है। दोनों देशों के संबंध गोवा की आजादी और इसके भारत में शामिल किए जाने को लेकर खराब रहे थे। ब्राजील मानता था कि भारत ने वहां पर सैन्य कार्रवाई कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। गोवा के अलावा दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास की वजह ब्राजील द्वारा पाकिस्तान को वर्ष 2009 में 100 MAR-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल बेचना था।

इसके अलावा वर्ष 2020 के शुरूआत में ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत द्वारा किसानों को दी जा रही चीनी सब्सिडी नीतियों के खिलाफ शिकायत की थी।

दोनों देशों के इन बनते-बिगड़ते रिश्तों के बीच यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापारिक रिश्ते लगातार सुधरे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा वैश्विक विजन पर आधारित हैं। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने पहली बार वर्ष 2015 में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में राष्ट्रपति बोलसोनारो द्वारा अपने सात मंत्रियों के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर आना दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है।

वर्तमान समझौता

जैव ऊर्जा में शोध को बढ़ावा देने, भारत में शीर्ष संस्थान स्थापित करने, तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र, आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग, स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग, पारंपरिक औषधि व्यवस्था एवं होम्योपैथी क्षेत्र, 2020 से 2024 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, भूगर्भ एवं खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग, इंवेस्ट इंडिया और ब्राजील के कारोबार व निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के बीच समझौता, पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत और ब्राजील ने हस्ताक्षर किए।

विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध

- **महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्राएँ:** दोनों देशों के मधुर होते संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में दोनों देशों के प्रमुखों द्वारा संपन्न की गई आधिकारिक यात्राएँ हैं। इन संबंधों में और तीव्रता देखी गई जब वर्ष 2019-20 में एक के बाद एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राएँ संपन्न हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में ओशाका में संपन्न (29 जून, 2019) G-20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति बाल्सोनारों से मिले, इसके बाद 13 नवंबर, 2019 को ब्रासीलिया में संपन्न ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में भी दोनों देशों ने आपसी संबंधों पर चर्चा की थी।
- **वाणिज्यिक संबंध:** भारत-ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार में पिछले दो दशकों में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि वैश्विक कीमतों में गिरावट और ब्राजील में आई आर्थिक मंदी ने ब्राजील के समग्र व्यापार को प्रभावित किया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पर भी देखने को मिला था जब यह वर्ष 2015 और 2016 में क्रमशः 7.9 बिलियन डॉलर और 5.64 बिलियन डॉलर तक आ गया था। किंतु इन आँकड़ों में वर्ष 2018-19 में कुछ सुधार देखने को मिला और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 8.2 बिलियन डॉलर पहुँच गया, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक था।
- **निवेश:** आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 में भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश किया। भारतीय निवेशकों ने मुख्यतः ब्राजील के सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, ऊर्जा, कृषि-व्यवसाय, खनन और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में निवेश किया है जबकि ब्राजील के निवेशकों ने मुख्यतः भारत के ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, ऊर्जा और जैव ईंधन के क्षेत्रों में निवेश किया। हालांकि ब्राजील द्वारा भारत में किया गया निवेश इसकी तुलना में काफी कम है।
- **आयात-निर्यात:** भारत ने जहाँ ब्राजील को एग्रो-केमिकल, सिंथेटिक यार्न, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स का बड़ा निर्यात किया। वहीं ब्राजील से क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबिल ऑयल, चीनी, मिनरल्स आयात भी किया है।
- **व्यापार निगरानी तंत्र:** भारत और ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय व्यापार में रूकावटों को दूर करने के लिए एक व्यापार निगरानी तंत्र की स्थापना करने के लिए सहमत हुए थे।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और ब्राजील ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 'MoU' पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा ब्राजील में इसरो 8 सप्ताह का एक लम्बा ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित करता है जबकि ब्राजील की ओर से ब्राजील स्पेस एजेंसी (AEB) इस कार्यक्रम में भाग लेती है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, कला और दर्शन को लेकर काफी रुचि है। ब्राजील पहुँचने वाला पहला भारतीय शास्त्रीय कलारूप भरतनाट्यम था; जिसके पश्चात् ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य ब्राजील पहुँचे। पूरे ब्राजील में योग सिखाने वाले कई संगठन हैं। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भक्ति वेदांत फाउंडेशन जैसे आध्यात्मिक संगठन भी ब्राजील में मौजूद हैं। इसके अलावा ब्राजील के 12 प्रमुख शहरों में वर्ष 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया था।

भारत ब्राजील संबंधों की आवश्यकता

भारत और ब्राजील कुदरती तौर पर ताकतवर देश हैं। भारत, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ब्राजील आबादी में छठवाँ बड़ा देश है। इसी तरह, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ब्राजील इस मामले में नौवें नंबर पर है।

आज विश्व की व्यवस्था में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है। आज दोनों ही देश बदली हुई परिस्थितियों और चुनौतियों के हिसाब से अपने अपने लिए अलग रणनीतियां बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ज्यादा सक्रिय हो गई है। भारत की कोशिश है कि वो खुद को विश्व स्तर पर बड़े खिलाड़ी के दौर पर स्थापित करे और इसके लिए वो अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत के अलावा सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है।

आज ब्राजील को विश्व स्तर पर नए दोस्तों की जरूरत है। साथ ही साथ उन्हें ब्राजील की सुस्त अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि वो, अपने उदारवादी समर्थकों के लिए कारोबार की संभावनाओं का दायरा बढ़ा सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील एक ताकतवर सहयोगी हो सकता है। खास तौर पर भारत को खुद को विश्व नेता के तौर पर स्थापित करने के प्रयासों में ब्राजील की अच्छी मदद मिल सकती है। ब्राजील, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। ऐसे में भारत में निर्मित उत्पादों के लिए ब्राजील एक बहुत बड़ा बाजार है। साथ ही ब्राजील, भारत के लैटिन अमेरिका में अपना असर बढ़ाने के लिए प्रवेश द्वार का भी काम कर सकता है। भारत ने 175 गीगावाट बिजली पुनर्नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से बनाने का लक्ष्य रखा है।

ब्राजील, इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास बॉयोफ्यूल को सफलतापूर्वक बनाने की उन्नत तकनीकि है। ब्राजील में दुनिया का सबसे आधुनिक एथेनॉल कार्यक्रम भी सफलता से चलाया जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोनों ही देशों के बहुत से हित साझा हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में भी इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। ब्राजील का गन्ने पर आधारित एथेनॉल उद्योग भारत के काफी काम आ सकता है। दोनों देश इस दिशा में सहयोग बढ़ाएंगे, तो साथ मिल कर ब्राजील की ये शिकायत भी दूर कर सकते हैं कि भारत अपने गन्ना किसानों को सब्सिडी देता है। ब्राजील में तेल उत्पादन काफी तेजी से हो रहा है और आँकड़ों के मुताबिक जल्द ही ब्राजील दुनिया के शीर्ष-5 तेल उत्पादक देशों में शामिल होगा। भारत और ब्राजील विभिन्न द्विपक्षीय मंचों जैसे- ब्रिक्स (BRICS), G-20, G-4, IBSA और इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) आदि तथा बड़े बहुपक्षीय निकायों जैसे- UN, WTO, UNESCO और WIPO आदि साझा करते हैं।

चुनौतियाँ

भारत और ब्राजील के संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती चीन की है क्योंकि चीन भी विभिन्न द्विपक्षीय मंचों में भागीदार देश है। साथ ही वह एशिया के साथ-साथ यूरोप और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

अब तक बोल्सोनारो की अगुवाई वाली ब्राजील की सरकार एशिया को लेकर कोई सुसंगत रणनीति बनाने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति बोल्सोनारो की अगुवाई में ब्राजील की विदेश नीति भारत के साथ स्थायी नहीं है।

आज भारत और ब्राजील के बीच कुल कारोबार करीब 7.6 अरब डॉलर का है लेकिन, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए ये काफी कम है, और खास तौर से 2014 के उच्च कारोबारी स्तर यानी 11 अरब डॉलर से भी नीचे है। साथ ही साथ, जहां भारत से ब्राजील का निर्यात काफी विविधता भरा है। वहीं ब्राजील से भारत को होने वाला निर्यात मुख्य तौर पर तेल, सोया ऑयल और चीनी तक ही सीमित है।

आगे की राह

चीन की बाजारवादी और विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करने के लिए भारत को ब्राजील के साथ संबंधों की मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो भी कार्यक्रम दोनों देशों में संचालित हैं उनको और प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.6 अरब डॉलर है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी कम है। इसलिए दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ब्राजील को भी चाहिए कि वह अमेरिकी संरक्षणवादी नीति का पालन न कर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए। दोनों देशों को आपसी सहयोग की यही रफ्तार बनाए रखने की जरूरत है साथ ही समय-समय पर राजनीतिक दौरे संपन्न किए जाने चाहिए। हाल ही में संपन्न विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों को अमलीजामा पहनाने के लिए व्यापक रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय डायसपोरा।

■

5. भारत–तुर्की संबंधों में उतार–चढ़ाव के मायने

चर्चा का कारण

हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली (The National Assembly) को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाया और कहा कि उनका देश इस मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करेगा। एर्दोआन ने अपने भाषण में कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश के संघर्ष से की। उन्होंने पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एर्दोआन न केवल भारत के आंतिरक मामलों में दखल दे रहे हैं बल्कि सीमापार आतंकवाद को इस्लामाबाद से मिल रहे समर्थन का भी बचाव कर रहे हैं।

परिचय

तुर्की इस्लामी दुनिया का एक प्रमुख देश है । आजादी से पहले ब्रिटेन जैसे औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में भारत और तुर्की के संबंध मित्रतापूर्ण रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थकों ने संकटग्रस्त तुर्कों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की। हालांकि, यह पारस्परिक सद्भावना 1947 के बाद दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में परिवर्तित नहीं हुई। 1947 के भारत–पाक विभाजन के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा हो गया। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्ज्वल भविष्य देखा। गौरतलब है कि मुस्तफा कमाल पाशा (इन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है) की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर ही मजबूत हुए हैं।

भारत और तुर्की के बीच सहयोग के क्षेत्र

भारत और तुर्की अंतर्राष्ट्रीय समूह G20 का हिस्सा हैं। भारत और तुर्की के बीच प्रौद्योगिकी, रक्षा, यातायात एवं अंतरिक्ष के साथ कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते हुए हैं। भारत की ओर से तुर्की को मुख्य रूप से मीडियम ऑयल और ईंधन, कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे, ऑटोमोटिव कल-पुर्जे और साजोसामान तथा ऑर्गेनिक कैमिकल का निर्यात होता है। तुर्की भारत को खसखस, मशीनरी, यांत्रिक उपकरणों, लोहे एवं इस्पात की वस्तुएं, अकार्बनिक रसायन, मोती जवाहरात, धातुएँ एवं संगमरमर का निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच 7.2 बिलियन डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान तुर्की ने भारत से 5 बिलियन डॉलर तक का आयात किया तथा इसी अवधि के दौरान उसने भारत को 2.2 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। तुर्की की ओर से वर्ष 2000 से 2018 तक भारत में निर्माण, शीशा और मशीनरी आदि जैसे क्षेत्रों में 182.18 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ जबकि भारत की ओर से तुर्की में 1998 से 2017 तक 121.36 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया। इसलिए व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। दोनों देशों की आबादी एवं अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह काफी कम है और इसे काफी उपर ले जाने की संभावना है। आवास तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उसकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ भारत को मिल सकता है। भारत दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और विस्तार देने पर जोर देता रहा है।

जानकारों का मानना है की दोनों देशों के व्यापार से भारत को तुर्की की अपेक्षा ज्यादा फायदा हो रहा है जिससे तुर्की खुश नहीं है। तुर्की चाहता है कि दोनों देश पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में निर्माण उद्योग में सहयोग करें किन्तु भारत के इस मामले मे विचार उससे मेल नहीं खाते। तुर्की भारत से परमाणु क्षेत्र में मदद चाहता था जो तुर्की की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। उसे पता है कि भारत के न केवल केरल में विशाल थोरियम भंडार है, बल्कि उसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी हैं जिसका प्रयोग थोरियम संवर्धन करने के लिए किया गया है। इसके अलावा तुर्की भारत से तकनीकी कौशल चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। इन्ही सब घटनाक्रमों को देखते हुए जानकार मानते हैं कि तुर्की का झुकाव भारत के बजाय इस्लामिक देशों में बढ़ रहा है।

- **सांस्कृतिक संबंध:** अंकारा (तुर्की की राजधानी) विश्वविद्यालय के इंडोलाजी विभाग में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की एक हिंदी पीठ है तथा इस समय यहाँ पर भारत से प्रोफेसर तैनात हैं जो 50 से अधिक स्थानीय छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तुर्की में भारतीय फिल्में काफी लोकप्रिय हैं, इसके अलावा भारतीय रंगमंच की भी वहाँ धूम है।
- **तुर्की में भारतीय समुदाय:** तुर्की में छोटा सा भारतीय समुदाय है जो मुख्य रूप से इस्ताम्बुल और अंकारा में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। इस्ताम्बुल में भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय है। इसके अलावा तुर्की एयरलाइन्स इस्ताम्बुल से मुम्बई और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ाने संचालित करता है।

सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ वर्षों में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आई है। भारत और तुर्की ने द्विपक्षीय व्यापार को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक (अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.6 अरब डालर का है) पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया था किन्तु ऐसे तनाव के माहौल मे यह संभव प्रतीत नहीं होता है। तुर्की तथा पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ती नजदीकियों और कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश तुर्की को भारत रक्षा संबंधी निर्यात में कटौती कर रहा है। तुर्की को भारत सैन्य साजो-सामान तथा ड्यूअल यूज आइटम्स जैसे एक्सप्लोसिव्स तथा डेटोनेटर्स के निर्यात में इसलिए कटौती कर रहा है, क्योंकि उसे आशंका है कि वह इसका इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ कर सकता है। सीरिया में कुर्दो के नेतृत्व वाले सुरक्षाबलों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अंकारा पर भारत सहित कई अन्य देशों का दबाव बढ़ा था । भारत ने पूर्वोत्तर सीरिया में 'एकतरफा सैन्य कार्रवाई' पर चिंता जताई थी और इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी कार्रवाई का मकसद क्षेत्र में शांति बनाए रखना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए।

हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारत तुर्की कंपनी TAIS के साथ 2.3 अरब डॉलर की डील से भी पैर पीछे खींच सकता है। गौरतलब है कि इस डील के तहत तुर्की कंपनी भारतीय नौसेना के लिए पांच जहाज बनाने में हिंदुस्तान शिपयार्ड

लिमिटेड का सहयोग करेगा। TAIS को जहाजों की डिजाइन, तकनीकी मदद उपलब्ध कराने और परियोजना के लिए जरूरी उपकरण की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर मुद्दा बार-बार उठाना तुर्की की योजना के अनुरूप है क्योंकि तुर्की खुद को मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाले देशों के एक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है। इसके अलावा एर्दोआन अपनी घरेलू राजनीति में भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन मुद्दों के अलावा अन्य कारण भी हैं, जो भारत-तुर्की संबंधों के बीच गतिरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे कि-

- **भारत की एनएसजी सदस्यता का विरोध:** तुर्की ने हमेशा से भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने का विरोध किया है। उसने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का समर्थन करते हुए इसे भारत की प्रतिक्रिया में उठाया गया कदम करार दिया था। वहीं तुर्की ने 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों पर चिंता जताई थी। तुर्की, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में पाकिस्तान की सदस्यता की वकालत करता रहा है।
- **सीपीईसी और तुर्की:** पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) की परियोजनाओं से जुड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही, उन्होंने सीपीईसी को लेकर यह टिप्पणी भी की कि इसे तुर्की के उद्यमियों को ठीक से बताए जाने की जरूरत है।

गौरतलब है कि सीपीईसी परियोजनाओं पर भारत अपनी कड़ी आपत्ति जताता रहा है। उसका कहना है कि यह परियोजनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान के उन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जो उसका हिस्सा है। इन विवादित इलाकों में इस तरह की परियोजनाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पाकिस्तान और तुर्की के संबंध

पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत के तुलना में काफी अच्छे रहे हैं। 2016 में तुर्की में सेना का एर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान खुलकर एर्दोआन के पक्ष में आया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एर्दोआन को फोन कर समर्थन किया था। इसके बाद शरीफ ने तुर्की का दौरा भी किया था। तब से एर्दोआन और पाकिस्तान के संबंध और अच्छे हुए हैं। 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में एक अरब डॉलर का निवेश किया है। तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रोबस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया कराता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) को लेकर अब भी काम चल रहा है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफी विस्तार हुआ है। इस्तांबुल रीजनल एविएशन हब के तौर पर विकसित हुआ है। ज्यादातर पाकिस्तानी तुर्की के रास्ते पश्चिम के देशों में जाते हैं। तुर्की में हाल के वर्षों में पश्चिम और यूरोप के पर्यटकों का आना कम हुआ है ऐसे में तुर्की इस्लामिक देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान प्रमुख देश है।

वैश्विक मोर्चे पर पाक तुर्की का संबंध

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की-पाकिस्तान एकता दशकों से साफ दिखती रही है। दोनों देश एक दूसरे को अपने आंतरिक मसलों पर समर्थन करते रहे हैं। दोनों देशों की करीबी अजरबैजान को लेकर भी है। तीनों देशों की यह दोस्ती आर्मेनिया को भारी पड़ती है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आर्मेनिया को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है। अजरबैजान विवादित इलाका नागोर्नो-काराबाख पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान भी इसका समर्थन करता है। तुर्की का भी इस मामले में यही रुख है। इसके बदले में तुर्की पाकिस्तान को कश्मीर पर समर्थन देता है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तब भी प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति एर्दोआन से संपर्क किया और उन्होंने पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया के बड़े नेता और हिमायती के तौर पर भी पेश करते हैं। हालांकि दोनों देशों में भले दोस्ती है लेकिन दोनों के दोस्त एक ही नहीं हैं। तुर्की और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं लेकिन चीन और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। तुर्की चीन में वीगर मुसलमानों के प्रति हो रहे व्यवहार की खुलकर आलोचना करता है जबकि इस मसले पर पाकिस्तान चुप रहता है।

जानकारों का मानना है कि तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पत्रकार जमाल खाशोज्जी की हत्या के खिलाफ तुर्की काफी मुखर रहा लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल चुप रहा। पाकिस्तान और तुर्की एक जैसे अलगाववाद से जूझ रहे हैं। तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ जारी संघर्ष में पाकिस्तान एर्दोआन के साथ खड़ा रहता है। कुर्द विद्रोहियों के साथ तुर्की का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। 2015 में तो तुर्की ने इस संघर्ष में पाकिस्तान से खुफिया और संसाधनों की मदद का भी अनुरोध किया था।

तुर्की में तख्तापलट की कोशिश और पाक

गौरतलब है कि 2016 में तुर्की में तख्तापलट नाकाम करने पर इमरान खान ने एर्दोआन को नायक कहा था। दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों में पाकतुर्क स्कूल सबसे विकट मुद्दा बनकर सामने आया। ये स्कूल प्रभावशाली इस्लामिक धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलेन के ग्लोबल नेटवर्क के हिस्सा रहे थे। एक वक्त में फेतुल्लाह एर्दोआन के सहोयगी हुआ करते थे। इन स्कूलों के जरिए तुर्की की संस्कृति के साथ-साथ गुलेन राजनीतिक विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता था। 2016 में जब तख्तापलट की कोशिश हुई तो एर्दोआन ने इसके लिए गुलेन और उनके हिजमत आंदोलन को दोषी ठहाराया। इसके बाद से एर्दोआन ने बाकी के देशों से कहा कि गुलेन आतंकवाद के समर्थक हैं इसलिए अपने यहां चल रहे उनके स्कूलों को बंद करे। पाकिस्तान ने एर्दोआन की मांग को खारिज नहीं किया। पहले स्कूलों में काम करने वालों को रेजिडेंस वीजा देने से इनकार किया और बाद में उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। पिछले साल की शुरूआत में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुलेनवादियों को आतंकवादी घोषित कर दिया और पाकतुर्क स्कूलों को मारिफ फाउंडेशन के हवाले कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने एर्दोआन की सारे बातें मान लीं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान समस्या को लेकर भी तुर्की पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। हालांकि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल के दौरान पाकिस्तान और तुर्की मुजाहिदीन के साथ थे। इसकी वजह से अमेरिका के साथ सहयोग के कारण दोनों देश इस्लामिक जगत के टकराव से अलग नहीं रहे।

भारत को क्या करना चाहिए

भारत के साथ राजनयिक संबंधों के इतिहास को साझा करने के बावजूद, लंबे समय तक तुर्की ने इन संबंधों को उचित महत्त्व नहीं दिया। फिर भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं की संख्या बढ़ रही है। तुर्की भी आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान की ओर तुर्की के झुकाव को देखते हुए भी भारत को उसके साथ

जिन क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं उसमें काम करने की जरुरत है। आर्मेनिया और साइप्रस तुर्की के पड़ोसी देश हैं और इनके बीच ऐतिहासिक दुश्मनी है। भारत सरकार ने तुर्की के रुख को देखते हुए इन दोनो देशों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम दिया जाएगा। साइप्रस लगातार तुर्की पर आरोप लगाता है कि वह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ऐसे में भारत कूटनीतिक दांव चल सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर तुर्की कमजोर पड़े।

गौरतलब है कि तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा सहयोग को भी स्पष्ट रूप से बढ़ाया है। अंकारा, पाकिस्तान की नौसेना के लिए चार MILGEM मध्यम आकार के युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। सौदे के अनुसार, दो जहाज तुर्की में और अन्य दो पाकिस्तान में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत बनाए जाएंगे। दोनों देशों ने पिछले साल 30 तुर्की हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का सौदा किया था जो दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा था। ऐसे हालातों के मद्देनजर भारत को ऐसे देशों के साथ संपर्क मे रहना चाहिए जहां वह अपने हितों को नजरंदाज नहीं होने दे साथ ही उसे किसी भी देश के साथ विवाद मे पड़ने के बजाए बातचीत के माध्यम से मसलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

आगे की राह

भारत और तुर्की के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बात कर उसे तार्किक परिणति तक ले जाने पर विचार करना चाहिए। भारत और तुर्की डॉलर में व्यापार करने की जगह अपनी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार कर सकते हैं । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम से कम आर्थिक एवं व्यापारिक मामले पर तुर्की भारत के साथ बेहतर संबंध का इच्छुक है। तुर्की के समक्ष भारत ने कुर्द समस्या को कभी नहीं उठाया जबकि जगजाहिर है कि दक्षिण तुर्की में कुर्द लोग स्वतंत्र कुर्दीस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन पर हर प्रकार का अत्याचार हो रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुर्की भी भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय विवाद मे ना पड़े बल्कि विकास और उन्नति के नए रास्तों की तलाश करे। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर तुर्की के झुकाव को देखते हुए भारत को भी उसके साथ जिन क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं उसमें काम करने की जरुरत है। अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली, तो उसमें चीन और न्यूजीलैंड के साथ तुर्की की भी भूमिका थी। अब वह पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता दिलाना चाहता है। यह भारत को स्वीकार नहीं हो सकता। भारत को तुर्की का इसके लिए समर्थन तो चाहिए लेकिन इस शर्त पर नहीं कि वह हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तुर्की में तख्तापलट की कोशिश और पाकिस्तान तुर्की के साथ संबंधों में कई पेंच हैं जिन्हें समझना होगा और उनका रास्ता कूटनीतिक नजरिए से निकालना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय डायसपोरा।

■

6. पोर्नोग्राफी का बच्चों एवं समाज पर प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा गठित की गयी 14 सदस्यीय समिति ने बच्चों के यौन शोषण को रोकने और सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी (Pornographic Content) तक पहुँच को रोकने के लिए 40 सिफारिशें की हैं।

पोर्नोग्राफी क्या है

- पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती हैं, जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून (Anti-pornography law) लागू होता है। जो लोग दूसरों के नग्न या अश्लील विडियो (Nude or pornographic videos) तैयार कर लेते हैं या एमएमएस बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश (Pornographic message) भेजते हैं, वे भी इसके दायरे में आते हैं।

संसदीय समिति की सिफारिशें

- समिति की तरफ से की गयी 40 सिफारिशें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्यापक परिभाषा को अपनाने, ऐसी सामग्री के लिए बच्चों तक पहुँच को नियंत्रित करने और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के प्रसार को रोकने, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाने, बच्चों को इसकी पहुँच से वंचित करने, सामग्री की निगरानी, पोर्न देखने की स्थिति का पता लगाने, ऑनलाइन साइटों से ऐसी अश्लील सामग्री को हटाने, ऐसी सामग्री के कम उम्र के बच्चों में उपयोग को रोकने, माता-पिता को बच्चों के इस तरह की सामग्री का जल्दी पता लगाने के लिए सक्षम करने, सरकारों के प्रभावी कार्रवाई करने और एजेंसियों को आवश्यक निवारक और दंडात्मक उपाय आदि करने के लिए अधिकृत करने से सम्बन्धित हैं।
- **विधायी उपायः** समिति ने भारतीय दंड संहिता में किये जाने वाले बदलावों के साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 और आईटी अधिनियम, 2000 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं-
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 में एक खंड डाला जाए, जिसके तहत किसी भी लिखित सामग्री, दृश्य प्रतिनिधित्व या ऑडियो रिकॉडिंग या किसी भी लक्षण वर्णन के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन गतिविधियों की वकालत को अपराध बनाया जाये। पोक्सो अधिनियम, 2012 में एक और खंड जोड़ा जाए, जिसमें बिचौलियों (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) की एक आचार संहिता की बात हो, ताकि ऑनलाइन बाल सुरक्षा सुनिश्चित हो, आयु अनुसार उपयुक्त

सामग्री सुनिश्चित हो और अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

- पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत स्कूल प्रबंधन को स्कूलों के भीतर बच्चों की सुरक्षा, परिवहन सेवाओं और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिनके साथ स्कूल जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के मामले में पोक्सो अधिनियम में रिर्पोटिंग आवश्यकताओं के तहत राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में नामित किया जाए।
- आईटी अधिनियम-2000 में एक नया खंड शामिल किया जाना चाहिए, जो बच्चों को अश्लील पहुँच प्रदान करने वालों और बाल यौन उत्पीडन सामग्री (सीएसएएम) का उपयोग, उत्पादन या संचार करने वालों के लिए भी दंडात्मक उपायों की व्यवस्था करता है। संघ सरकार को उन सभी वेबसाइटों/ बिचौलियों जो बाल यौन शोषण सामग्री ले जाते हैं; को ब्लॉक करने/रोकने के लिए अपने प्राधिकारी के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए।
- आईटी अधिनियम को संशोधित किया जाए, ताकि बिचौलियों को सक्रिय रूप से पहचानने और सीएसएएम को हटाने के अलावा भारतीय अधिकारियों के साथ-साथ विदेशी अधिकारियों को भी इसकी सूचना देने के लिए उसे जिम्मेदार बनाया जाए। गेटवे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आइएसपी)को सीएसएएम वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अवरुद्ध करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाना चाहिए। बिचौलिये भी नामित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने, बाल पोर्न/ खोज करने वाले सभी लोगों के आईपी पते/पहचान/सीएसएएम की वर्ड्स के लिए जिम्मेदार होंगे।
- **प्रौद्योगिक उपाय:** बाल पोर्नोग्राफी के वितरकों का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एंड-टू एंड एंक्रिप्शन को ब्रेक करने की अनुमति मिले। ऐसे एप्स, जो बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री तक पहुँच की निगरानी करने में मदद करते हैं; उन्हें भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों में अनिवार्य बनाया जाए। ऐसे एप या इसी तरह के समाधान विकसित किये जाएँ और उनकी आईएसपी, कम्पनियों, स्कूलों और माता-पिता तक पहुँच आसान की जाए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति बेहतर रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएँ। स्कूल वर्ष में कम-से-कम दो बार माता-पिता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें, जिससे उन्हें कम उम्र में स्मार्ट फोन, इंटरनेट के मुफ्त उपयोग के खतरों के बारे में पता चल सके। अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर, कम उम्र बच्चों के स्मार्ट फोन के उपयोग को प्रतिबन्धित करने के लिए एक उचित व्यावहारिक नीति पर विचार किया जाए।
- **राज्य स्तरीय कार्यान्वयन:** समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के पास बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनसीपीसीआर क्षमताओं वाला राज्य आयोग हो। अश्लील सामग्री को हटाने, आयु सत्यापन, चेतावनी जारी करने आदि से सम्बन्धित सोशल मीडिया और वेबसाइट दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर ई-सुरक्षा आयुक्तों की नियुक्ति की जाए।

वर्तमान स्थिति

- आजकल इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी से जुड़ा कटेंट सभी के लिए आसानी से मौजूद है। पोर्नोग्राफी का युवाओं के मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है, जिसने समाज के लिए गंभीर चिंताएं खड़ी की हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने या इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए आवाजें उठती रही हैं। इसके विपरीत व्यक्ति के निजता के अधिकारों के हिमायती लोग किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध करते हैं।
- भारतीय संविधान ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए नीति व कानून बनाने की जिम्मेदारी (अनुच्छेद 39-ई) राज्य को दी है।
- विदित हो कि भारत में हर 10 मिनट में एक पोर्न वीडियो अपलोड हो रहा है। यानी पोर्नोग्राफी एक महामारी की तरह फैल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 15-16 साल की उम्र के 65 फीसदी और 11-16 साल की उम्र की 48 फीसदी बच्चे ऑनलाइन पोर्न की वजह से प्रभावित हैं। वहीं 28 फीसदी बच्चों को इंटरनेट पर ब्राउजिंग के वक्त पोर्न साइट्स के लिंक मिले जबकि 19 फीसदी बच्चों ने सीधे सर्च करके पोर्न देखा।
- हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 में 32,608 मामले सामने आए थे जबकि 2018 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत 39,827 मामले सामने आए थे।

> - POCSO अधिनियम, 2012 यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों के विशेष उपचार की व्यवस्था है, जैसे विशेष अदालतों की स्थापना, विशेष अभियोजक और बाल पीड़ितों का समर्थन।

- आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में 21,605 बाल बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जिसमें लड़कियों के साथ बलात्कार की संख्या 21,401 और 204 मामले लड़कों के शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाल बलात्कार 2,832 दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 2023 और तमिलनाडु में 1457 दर्ज किए गए। इन सब के पीछे पोर्नोग्राफी का बड़ा हाथ रहा है।
- 2008-2018 के दशक में बच्चों के खिलाफ कुल अपराधों में छह गुना वृद्धि हुई है, एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 2008 में 22,500 मामले दर्ज किए गए जबकि 2018 में 1,41,764 मामले दर्ज हुए। 2017 में, बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,29,032 मामले दर्ज किए गए।
- 2018 में पोर्नोग्राफी या स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के लिए बच्चे के उपयोग के 781 मामलों को भी दर्ज किया गया था, जो 2017 के दोगुने से अधिक थे। 2017 में इस तरह के 331 मामले दर्ज किए गए थे।

प्रभाव

- एक ओर निजता के अधिकार के पक्षधर इस बात पर अड़े रहते हैं कि निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए और दूसरी ओर वे देश में अपराधों में वृद्धि पर सरकारों को कोसते रहते हैं। बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि का एक कारण समाज के किशोर, युवा और वयस्कों का इंटरनेट पर पोर्न और हिंसा से जुड़ी सामग्री देखना है।
- जानकारों का कहना है कि पोर्नोग्राफी देखने से बच्चों का दिमाग स्वाभाविक तरीके से बढ़ नहीं पाता। "पोर्नोग्राफी की तस्वीरें देखते और

उससे जुड़ी आवाजें सुनते वक्त, बच्चों का दिमाग जिस तरीके से काम करता है, उसकी जाँच करने से पता चला है कि पोर्नोग्राफी देखने से बच्चों का दिमाग स्वाभाविक तरीके से काम नहीं करता। यानी किसी बात को पहले ठीक-ठीक समझकर फिर उसे कबूल करने की स्वाभाविक प्रक्रिया बिगड़ जाती है। यह बच्चों के 'कच्ची मिट्टी' जैसे दिमाग जो किसी भी तरह से ढलने को तैयार रहता है के लिए खतरनाक है। क्योंकि पोर्नोग्राफी से वे हकीकत को समझने की काबिलीयत खो देते हैं। इससे उनके सोच-विचार और सेहत पर बुरा असर होता है, और उन्हें जिंदगी से सच्ची खुशी नहीं मिलती।

- पोर्नोग्राफी को देखने से किशोरों में नकारात्मक परिणाम होते हैं, जो उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। उनकी एकाग्रता और याददाश्त में कमी आ जाती है। इसका सबसे खतरनाक प्रभाव ये है कि महिलाओं के प्रति व्यवहार अक्रामक हो जाता है और युवा अश्लील छींटाकशी करने के साथ साथ अपराध की ओर बढ़ जाते हैं।
- पोर्नोग्राफी का एक बड़ा प्रभाव समाज के ऊपर भी पड़ रहा है। कहा जाता है कि अच्छे नागरिकों से ही एक बेहतर समाज का निर्माण होता है लेकिन जब नागरिक ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो समाज कहाँ से स्वस्थ एवं परिपूर्ण होगा।
- वर्तमान में समाज के अंदर कई तरह की विकृतियाँ जैसे कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का कम होना, बालात्कार, नैतिक पतन, हिंसा में बढ़ोत्तरी, मानव तश्करी आदि उत्पन्न हुईं हैं ये सभी स्वस्थ समाज के लिए घातक हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तब वे एक अच्छे समाज का हिस्सा होते हैं लेकिन वर्तमान में तकनीकी ने बच्चों के हाथ में इंटरनेट रूपी ऐसे खिलौने को प्रदान किया है जो न सिर्फ बच्चों के विकास को अवरूद्ध कर रहा है बल्कि समाज को भी विकृत कर रहा है।

चुनौतियाँ

- अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार को पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने में दखल देना चाहिए? इसके खिलाफ एक तर्क यह है कि तकनीकी कारणों से इस तरह के कानून को लागू करना असंभव होगा, क्योंकि सभी इंटरनेट कंपनियों के सर्वर भारत से बाहर हैं। यहाँ तक कि सर्वरों में भरी गई सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है और पोर्नोग्राफी पर किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंध के तरीके और साधन नहीं हैं।

> - **पोर्नोग्राफी पर कानून (Law on pornography):** आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए)-आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा: जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल हो जाती है।
> - **चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून (Law on Child Pornography):** आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएँ 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा- पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना।

- इंटरनेट पर किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना बेहद मुश्किल है, खासकर पोर्नोग्राफी। ऐसा इंटरनेट के स्वरूप के कारण है। हाल ही में भारत सरकार ने 857 साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जबकि इंटरनेट पर दसियों लाख पोर्न साइटें मौजूद हैं।
- लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद इन 857 साइटों को खोलने के कई तरीके हैं। सामग्रियों को असरदार तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए फायर वॉल की जरूरत पड़ती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट नेटवर्क पर निगरानी रखने और उन पर नियंत्रण करने के लिए बना है।
- निजी कंपनियों के लिए तो इसका इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन पूरे देश के स्तर पर इसे लागू करना बहुत कठिन है। सिंगापुर और चीन जैसे कुछ देशों में सरकारी फायर वॉल इस्तेमाल किए जाते हैं।
- अगर वाकई ऐसी सामग्रियों पर असरदार प्रतिबंध लगाना है तो इसके लिए सरकार को सेंसरशिप टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश करना होगा। अभी तक कुछ ही देश ऐसा कर पाए हैं, हालांकि कई दूसरे मुल्कों ने इस क्षेत्र में प्रयास किया है।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पहचानने का कोई आसान और ऑटोमेटिक तरीका नहीं है। असल में यह काम इतना कठिन है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए पुलिस किसी संदिग्ध को पकड़ भी लेती है तो उसके कंप्यूटर या नेटवर्क पर तस्वीरें ढूंढना बेहद मुश्किल है।
- अभी भी सरकार के पास वैसा कोई उत्कृष्ठ एवं व्यापक तंत्र नहीं है जिससे कि पूरे देश में साइबर कैफे या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर पर निगरानी रखा जा सके तथा धड़ल्ले से चल रहे पोर्नोग्राफी को रोका जा सके।

निष्कर्ष

पोर्नोग्राफी पूरे विश्व में एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है। विश्व के कई देशों ने इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया है जिसमें की भारत भी एक है। भारत ने पोर्नोग्राफी के कई साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है फिर इसे रोका नहीं जा सका है क्योंकि इनके अलावा भी कई साइटों पर पोनोग्राफी की सामग्री उपलब्ध है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सरकार को इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना चाहिए खासकर बच्चों में।

चूँकि बच्चे इनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री पर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन पाबंदियों पर कड़ाई से पालन होना चाहिए तथा समय-समय पर इनकी निगरानी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके।

> **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**
> - सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
> - केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

7. भारत में सरोगेसी : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में गठित स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने भारत में सरोगेसी संबंधी विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। देश में सरोगेसी का व्यावसायिक प्रयोग को रोकने के लिए संसदीय समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सरोगेसी क्या है

सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कोई ऐसी दंपत्ति जो किसी चिकित्सकीय समस्या की वजह से संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो, किसी सरोगेट माँ की मदद से अपनी यह इच्छा पूरी कर सकता है। दूसरे शब्दों में सरोगेसी वह प्रक्रिया है जिसमें कोई महिला किसी दूसरे दंपत्ति की संतानेच्छा पूरी करने के लिए गर्भधारण करती है लेकिन शिशु का जन्म होने के बाद उस पर उसका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता। यह प्रक्रिया अपनी प्रकृति में व्यावसायिक या परोपकारी दोनों हो सकती है।

भारत में इस समय सरोगेसी के ये दोनों ही प्रकार मौजूद हैं। व्यावसायिक रूप में शिशु चाहने वाली दंपत्ति सरोगेट माँ को नकद या सहायता के रूप में भुगतान करती है और परोपकारी रूप में दंपत्ति सरोगेट माँ के सिर्फ चिकित्सकीय खर्च और बीमा का भुगतान करती है।

परिचय

देश में सरोगेसी यानी किराए की कोख के मामले काफी पहले से ही प्रकाश में आने लगे थे। 2005 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में सरोगेसी के बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में कहा गया था कि बच्चा चाहने वाले दंपत्ति के द्वारा सरोगेट माँ को इस कार्य के लिए तय राशि का भुगतान करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि सरोगेट माँ को भविष्य में जन्म लेने वाले शिशु पर उसकी माँ होने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने बेबी माँजी यमादा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस बात को रेखांकित किया था कि देश में सरोगेसी के मामले में नियम कानून का अभाव है। 2009 में भारतीय विधि आयोग ने पाया कि भारत में सरोगेसी की प्रक्रिया का लाभ बड़े पैमाने पर विदेशी लोग उठा रहे हैं और इस संबंध में समुचित कायदे कानून के अभाव में गरीब महिलाओं का सरोगेट माँ के तौर पर बहुत शोषण हो रहा है। इसके बाद ही विधि आयोग ने व्यावसायिक सरोगेसी के निषेध का प्रस्ताव किया और इस बारे में समुचित कायदे कानून बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी का निषेध करने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया। 2016 में इस संबंध में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में इस प्रक्रिया को व्यावसायिक की जगह परोपकारी बनाने का प्रावधान किया गया था। हाल ही में सरकार ने सरोगेसी नियमन विधेयक, 2020 को मंजूदी दे दी है। चूँकि सरोगेसी से जुड़े नैतिक मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसलिए संसदीय समिति के प्रमुख सुझावों को अमल में लाना आवश्यक है।

संसदीय समिति के मुख्य सुझाव

23 सदस्यीय संसदीय समिति ने विधेयक में करीब 15 बदलाव करने का सुझाव दिया है उनमें से कुछ मुख्य सुझाव निम्न हैं-

- करीबी रिश्तेदार होने की शर्त को खत्म करने के साथ-साथ सरोगेसी के लिए शादी के पाँच साल बाद ही मंजूरी दिए जाने की बाध्यता भी खत्म करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि इससे सरोगेट माँ का मिलना कठिन हो सकता है।
- इसमें सुझाव दिया गया है कि किसी भी 'इच्छुक' महिला को सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जानी चाहिये। साथ ही यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने सरोगेसी को मंजूरी दे दी है तो अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।
- समिति ने सरोगेट माँ के शादीशुदा होने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने का सुझाव दिया है।
- समिति का विचार है कि जो भी इच्छुक महिला इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहे उसे इस कानून के प्रावधानों के तहत ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए। यानी सरोगेट माँ बनने की अनुमति सिर्फ भारतीय मूल की किसी शादीशुदा महिला को ही नहीं बल्कि किसी भी उस विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को भी होनी चाहिए जिसकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो। और उसे मिलने वाले बीमा कवर को 16 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया जाए।
- समिति ने सिंगल पैरेंट की परिभाषा में एकल पुरुष या महिलाओं को शामिल नहीं करने की सिफारिश की है। इसका तात्पर्य यह है कि जानी-मानी हस्तियाँ सरोगेसी का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगी।

सरोगेसी नियमन विधेयक 2020

- सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2020 में केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बोर्ड और राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य बोर्डों तथा उपयुक्त प्राधिकरणों के गठन के जरिए भारत में सरोगेसी का नियमन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस अधिनियम का मुख्य लाभ यह होगा कि यह देश में सरोगेसी सेवाओं का नियमन करेगा। वैसे तो मानव भ्रूण एवं जननकोश की खरीद-बिक्री सहित वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन भारतीय विवाहित जोड़ों, भारतीय मूल के विवाहित जोड़ों और भारतीय अविवाहित महिला यानी सिंगल वुमन (केवल विधवा अथवा तलाकशुदा) को नैतिक सरोगेसी की अनुमति निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर ही दी जाएगी। इस प्रकार यह अनैतिक तौर-तरीकों को नियंत्रित करेगा, सरोगेसी के वाणिज्यीकरण की रोकथाम करेगा और सरोगेट माताओं तथा सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले बच्चों के संभावित शोषण को रोकेगा।
- विधेयक में केंद्र और राज्य सरकारों को एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों की सत्यता को प्रामाणित कर प्रक्रिया का अनुमोदन करेगा।
- विधेयक के अनुसार सरोगेसी के लिए कोई शुल्क लेना या देना, सरोगेसी का विज्ञापन देना, सरोगेट माँ का शोषण करना आदि दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए दस वर्ष के कारावास की सजा और दस लाख रुपए तक जुर्माना होगा। विधेयक के अनुसार सरोगेसी

की प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकेगी।

- सरोगेट गर्भ को गिराने की स्थिति में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और सरोगेट माँ की सहमति भी जरूरी होगी लेकिन इसमें संतानेच्छुक दंपति की सहमति असहमति की जरूरत नहीं होगी।

विधेयक के अनुसार पात्रता: इस विधेयक के अनुसार सरोगेसी के जरिए संतान पाने के इच्छुक दंपति का भारतीय होना अनिवार्य है।

- सरोगेसी के लिए आवेदन करते समय उनके विवाह को पांच वर्ष पूरे हो चुके हों और उनमें से कोई एक संतान पैदा करने में अक्षम हो।
- पत्नी की उम्र 23 से 50 साल के बीच हो और पति की उम्र 26 से 55 साल के बीच हो। उनकी पहले से कोई संतान नहीं हो या पहले से जो संतान है वह मानसिक या शारीरिक व्याधि से या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो जानलेवा हो।
- सरोगेट माँ उनकी कोई करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और उसका न सिर्फ शादीशुदा होना जरूरी है बल्कि उसको एक बच्चा भी होना चाहिए। इसके अलावा उसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। वह पहले कभी सरोगेट माँ नहीं बनी हो और शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो।
- इस प्रक्रिया के लिए संतानेच्छुक दंपति को सरोगेट माँ का समस्त चिकित्सकीय खर्च उठाने के साथ-साथ उसे बीमा की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। इस प्रक्रिया के लिए सरोगेट माँ को इसके अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सरोगेट बच्चा संतानेच्छुक दंपति का जैविक शिशु माना जाएगा और उसपर सरोगेट माँ का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा।

वैश्विक स्थिति

- अन्य देशों के साथ तुलना करने पर हम देखते हैं कि भारत की ही तरह नीदरलैंड, युनाइटेड किंगडम (यूके), दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस, यूनान में भी सरोगेसी की प्रक्रिया व्यावसायिक नहीं है।
- दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में सरोगेट माँ के लिए चिकित्सकीय खर्च और बीमा की व्यवस्था के अलावा उसे किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाता, जबकि यूके और नीदरलैंड में इस पर उचित या वाजिब खर्च किया जाता है।
- रूस में इसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है।
- यूके में किसी जोड़े को सरोगेसी के लिए चिकित्सकीय अनिवार्यता होना जरूरी नहीं है। वहीं, भारत के अलावा उक्त देशों में संतानेच्छुक जोड़े का शादीशुदा होना भी जरूरी नहीं है। इन देशों में सरोगेट माँ कोई भी हो सकती है उसका संतान चाहने वाले दंपत्ति की करीबी रिश्तेदार, शादीशुदा या एक बच्चे की माँ होना जरूरी नहीं।
- यूके, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में सरोगेट माँ की उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, जबकि नीदरलैंड में उसे अधिकतम 44 वर्ष का होना चाहिए।
- इस विधेयक के अनुसार भारत में जहाँ कोई महिला जीवन में सिर्फ एक ही बार सरोगेट माँ बन सकती है। वहीं, इन देशों में इसके लिए कोई सीमा नहीं है। भारतीय विधेयक में हालांकि सरोगेट माँ का शादीशुदा होना जरूरी है लेकिन सरोगेसी के लिए उसके पति की सहमति या असहमति लेने का कोई जिक्र नहीं है जबकि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में वह जरूरी है। वहीं यूके और नीदरलैंड में इसे जरूरी नहीं माना गया है। कानून के उल्लंघन की सूरत में जहां भारत में दस वर्ष कारावास का प्रावधान है वहीं, नीदरलैंड में अधिकतम एक साल, यूके में अधिकतम तीन महीने, ग्रीस में अधिकतम दो साल और दक्षिण अफ्रीका में अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन रूस में इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है।

सरोगेसी का कारोबार

- कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के मुताबिक, देश में सरोगेसी का लगभग 2.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल सरोगेसी के जरिये लगभग 2,000 बच्चों का जन्म होता है, जिनमें से अधिकतर विदेशियों को सौंप दिए जाते हैं।
- विश्लेषकों का मानना है कि देश में सरोगेसी से जुड़े सात से आठ हजार क्लिनिक हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि यह पूरा कारोबार पिछले दरवाजे से चल रहा है।

चुनौतियाँ

- सरकार ने हालांकि इस विधेयक के जरिए देश में सरोगेसी की आड़ में हो रहे गरीब महिलाओं के शोषण और इस प्रक्रिया के एक व्यवसाय के रूप में फलने-फूलने की स्थिति पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन देश में कुछ निहित स्वार्थी तबके इसके सफल क्रियान्वयन में बाधा बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि यह विधेयक 2016 से ही बार-बार संसद में लाया जाता रहा लेकिन किसी न किसी वजह से पारित नहीं हो पा रहा था।
- कई विश्लेषक सरोगेसी को औरतों पर एक और प्रताड़ना बताते हैं। वे सरोगेसी के बजाए आइवीएफ और एडॉप्शन (गोद लेना) को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके अनुसार आज भारत में कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ का आंचल चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गोद नहीं ले रहा है।
- सरोगेसी संबंधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सरकार ने सजा का प्रावधान तो रखा है लेकिन कोई महिला कैसे साबित करेगी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र का अभाव है।
- सरोगेसी के लिए बहुत कम क्लिनिक हैं। सरोगेट माँ की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। उसका भी कोई प्रावधान नहीं है।
- सीमित समय के लिए सरोगेट माँ को आर्थिक मदद करने से उस महिला को वापस उसकी पहले वाली स्थिति में पहुंचाना आसान नहीं है। इसकी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। सरोगेट माँ के अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।
- सरोगेसी संबंधी कानून में ज्यादातर अधिकार तो बच्चा चाहने वाले दंपति के हैं, सरोगेसी का संबंध सिर्फ तलाकशुदा, विधवा या रिश्तेदार के बच्चा पैदा करने का मामला नहीं है बल्कि ये बच्चा और माँ के बीच की बात है। क्या माँ और बच्चे के सभी

अधिकारों को ध्यान में रखा जा रहा है?

- जो सुझाव दिए गए हैं उनमें सरोगेसी को व्यावसायिक न होने पर तो जोर है और साथ ही महिला को सीमित समय तक के लिए चिकित्सकीय खर्च की भी बात है, लेकिन एक महिला जो माँ बन रही है, उसके माँ बनने के बाद भी शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के बाद अन्य कई समस्याएं होती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

आगे की राह

- सरोगेसी के साथ-साथ देश में आइवीएफ और एडॉप्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी कानून मानवाधिकार, माँ और बच्चे के मौलिक अधिकार आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इसमें इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि महिलाएँ सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर न रह जाएं अर्थात इस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के बाद होने वाली समस्याओं को भी दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय कैबिनेट ने एआरटी पर अपनी मुहर लगा दी है लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यापक जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा एआरटी क्लिनिक भारत में कम हैं, जिसे कम से कम जिलेवार बढ़ाया जाना चाहिए।
- अगर कोई दंपति बाद में बच्चा नहीं लेना चाहता तो सेरोगेट माँ के पास क्या विकल्प है। इन सभी बिंदुओं पर भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा सरोगेसी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है अर्थात कुछ निहित स्वार्थों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल न होने पाए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा गोद लेने की प्रथा को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि देश में हर साल लाखों बच्चे किसी न किसी प्रकार अनाथ हो जाते हैं। साथ ही सरोगेट महिला को शिक्षित व जागरूक बनाए जाने की भी आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

स्नात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन : प्रगतिशील नजरिया

प्र. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में सशस्त्र बल में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारों एवं समानता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन देने का आदेश सुनाया जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं।

सशस्त्र बलों में महिलाएँ

- भारत की सीमाओं की सुरक्षा एवं देश में आंतरिक शांति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है जिसके लिए सरकार ने भारतीय सशस्त्र बल का गठन किया है। इन सशस्त्र बलों में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल आदि को शामिल किया जाता है।
- वर्तमान समय में युद्धक भूमिका में केवल लड़ाकू पायलटों के रूप में ही महिलाओं को शामिल किया गया है। सेना के 42,253 अधिकारियों में केवल 3.8 प्रतिशत, नौसेना के 10,393 अधिकारियों में से 6 प्रतिशत और वायुसेना के 12,404 अधिकारियों में 13.1 प्रतिशत अधिकारी ही महिलाएँ हैं।

युद्धक-भूमिका में महिलाओं के लिए कठिनाई

- महिलाओं में अधिक ऊँचाई, रेगिस्तानी इलाकों, क्लीयरेंस डाइविंग और हाईस्पीड एविएशन (G-Forces) जैसे कठिन इलाकों में गैर-युद्धक चोटें देखी जाती हैं। इसके साथ ही महिला-पुरूष के बीच कद, ताकत और शारीरिक संरचना में प्राकृतिक विभिन्नता के कारण महिलाएँ चोटों और चिकित्सकीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह समस्या विशेष रूप से गहन प्रशिक्षण के दौरान होती है। इसके अलावा महिलाओं को अपने परिवार विशेष रूप से बच्चों से काफी अधिक लगाव होता है। इसलिए युद्ध की स्थिति में लम्बे समय तक महिलाओं का अपने परिवार से अलग रहना उनेक मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

निर्णय का प्रभाव

- महिलाओं स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए सेवा अवधि से संबंधी सभी भेदभाव समाप्त हो जायेंगे।
- महिलाओं को सेना की युद्धक सहयोग संबंधी 10 शाखाओं में पुरुषों के समान ही स्थायी कमीशन प्रदान किया जायेगा यदि वे इसका विकल्प चुनती हैं।

निष्कर्ष

- वास्तविकता यह है कि लैंगिक भेदभाव की वजह से ही महिलाएँ पुरुषों से पीछे रह जाती हैं उनकी काबिलियत में कहीं कोई कमी नहीं है। अनुशासन, समर्पण, पराक्रम और सेना की प्रतिष्ठा बनाये रखने में महिलाएँ पुरुषों से कम नहीं हैं। सेना में कई बार ऐसे मौके आये हैं, जबकि महिलाओं ने स्वयं को सक्षम साबित करके दिखाया है। सेना में उपलब्धियों और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर शक करना महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान होगा। ■

2. वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 : एक अवलोकन

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत का स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कार्य व महिला सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index 2020) जारी किया, इस सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को 76वां स्थान मिला है।

सामाजिक गतिशीलता क्या है

- सामाजिक गतिशीलता को किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन (माता-पिता की तुलना में) के रूप में समझा जा सकता है अर्थात् व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसके माता-पिता की परिस्थितियों की तुलना में 'उच्च स्तर' (Upward) की हैं या उससे 'निम्न स्तर' (Downward) की हैं। कुल मिलाकर यह एक बच्चे के लिये अपने माता-पिता की तुलना में बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता है, जबकि सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले परिणामों पर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का आकलन है।

सामाजिक गतिशीलता और भारत

- स्वास्थ क्षेत्र में भारत का स्कोर 54.6 है, जिसका प्रमुख कारण लोगों के जीवन प्रत्याशा में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का आम लोगों तक पहुँच

में कमी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के गुणवत्ताहीन प्रदर्शन है।

- शिक्षा के मोर्चे पर देखा जाए तो भारत का स्कोर (शिक्षा का आम लोगों तक पहुँच) 41.1 तथा शिक्षा की गुणवत्ता और समानता के स्तर पर स्कोर 31.3 है।

सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में भारतीय प्रयास

- **शैक्षणिक क्षेत्रः** समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, स्वयं (SWAYAM), शिक्षा का अधिकार (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21-क)
- **स्वास्थ्य क्षेत्रः** आयुष्मान भारत, कायाकल्प, आयुष, आँगनवाडी, सेवा, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिला योजना।
- **श्रम के क्षेत्र में:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, संकल्प योजना, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान इत्यादि।

निष्कर्ष

- असमानता और सामाजिक गतिहीनता का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि वर्षो से चली आ रही सामाजिक कुप्रथाएँ, नीतियों का विसंगतिकरण एवं अर्थव्यवस्था का कुछ खास लोगों के प्रति झुकाव आदि कुछ प्रमुख कारण हैं। ■

3. बोडो शांति समझौता : असम के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि बोडो शांति समझौते से असम में हिंसक आंदोलन बंद हो जाएंगे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार व असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

बोडो शांति समझौते के प्रमुख बिंदु

- बोडोलैंड जिसे आधिकारिक तौर पर अब तक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) कहा जाता है, इस समझौते के लागू होने के बाद इसका नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) हो जाएगा। नए समझौते की शर्तो के अनुसार बीटीआर को अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
- इसके साथ ही बीटीसी की मौजूदा 40 सीटों को बढ़ाकर 60 किया जाएगा तथा इलाके में कई नए जिलों का गठन किया जाएगा 4-7 जिले गृह विभाग को छोड़कर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सारे बीटीआर के पास रहेंगे।
- केंद्र सरकार ने नए समझौते की शर्तो पर अमल करने के लिए अगले तीन वर्षों में बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये के एक पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।

बोडोलैंड का मुद्दा

- असम में बोडोलैंड का मुद्दा तथा इससे जुड़ा विवाद छह दशक पुराना हे। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वे साल 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है। बोडो का कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी आजीविका एवं पहचान को खतरा है।

चुनौतियाँ

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस समझौते के विरोध में विभिन्न गैर-बोडो संगठनों ने निचले असम में बंद का आयोजन किया। इस दौरान सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा है।
- विदित हो कि उपर्युक्त संदर्भ में विरोध में गैर-बोडो संगठन यह मांग कर रहे हैं कि बोडोलैंड टेरीटोरियल डमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स (बीटीएडी) में रहने वाले सभी गैर-बोडो हितधारकों और प्रतिबंधित कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केएलओ) के लोगों को भी शांति वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए, जो शांति स्थापित करने वाले किसी भी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

आगे की राह

- बोडो समस्या पर व्यापक समझ कायम करते हुए जनजातीय समूहों तथा अन्य लोगों की बदलती आकारक्षाओं के मद्देनजर स्वीकार्य एवं व्यापक समाधान तलाशने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- इस मुद्दे से निपटने का एक अन्य मार्ग जनजातीय समूहों में शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीयकरण हो सकता है। इससे शासन को जनोन्मुख बनाने और वृहद विकास परियोजनाओं को शुरू करने में सहजता होगी। ■

4. भारत-ब्राजील संबंधों में नए आयाम

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हाल के दिनों में भारत-ब्राजील संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का आधिकारिक दौरा संपन्न किया।

परिचय

- भारत और ब्राजील के बनते-बिगड़ते रिश्तों के बीच यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापारिक रिश्ते लगातार सुधरे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा वैश्विक विजन पर आधारित हैं। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने पहली बार वर्ष 2015 में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में राष्ट्रपति बोलसोनारो द्वारा अपने सात मंत्रियों के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर आना दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध

- भारत-ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार में पिछले दो दशकों में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि वैश्विक कीमतों में गिरावट और ब्राजील में आई आर्थिक मंदी ने ब्राजील के समग्र व्यापार को प्रभावित किया है।
- आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 में भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में लगभग 6 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, कला और दर्शन को लेकर काफी रुचि है। ब्राजील पहुँचने वाला पहला भारतीय शास्त्रीय कलारूप भरतनाट्यम था; जिसके पश्चात् ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य ब्राजील पहुँचे।

भारत ब्राजील संबंधों की आवश्यकता

- भारत और ब्राजील कुदरती तौर पर ताकतवर देश हैं। भारत, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ब्राजील आबादी में छठवाँ बड़ा देश है। इसी तरह, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में पांचवें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ब्राजील इस मामले में नौवें नंबर पर है।
- आज विश्व की व्यवस्था में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है। आज दोनों ही देश बदली हुई परिस्थितियों और चुनौतियों के हिसाब से अपने अपने लिए अलग रणनीतियां बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ज्यादा सक्रिय हो गई है। भारत की कोशिश है कि वो खुद को विश्व स्तर पर बड़े खिलाड़ी के दौर पर स्थापित करे और इसके लिए वो अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत के अलावा सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है।

चुनौतियाँ

- अब तक बोल्सोनारो की अगुवाई वाली ब्राजील की सरकार एशिया को लेकर कोई सुसंगत रणनीति बनाने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति बोल्सोनारो की अगुवाई में ब्राजील की विदेश नीति भारत के साथ स्थायी नहीं है।
- आज भारत और ब्राजील के बीच कुल कारोबार करीब 7.6 अरब डॉलर का है लेकिन, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए ये काफी कम है, और खास तौर से 2014 के उच्च कारोबारी स्तर यानी 11 अरब डॉलर से भी नीचे है। साथ ही साथ, जहां भारत से ब्राजील का निर्यात काफी विविधता भरा है। वहीं ब्राजील से भारत को होने वाला निर्यात मुख्य तौर पर तेल, सोया ऑयल और चीनी तक ही सीमित है।

आगे की राह

- चीन की बाजारवादी और विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करने के लिए भारत को ब्राजील के साथ संबंधों की मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो भी कार्यक्रम दोनों देशों में संचालित हैं उनको और प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.6 अरब डॉलर है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी कम है। इसलिए दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ■

5. भारत–तुर्की संबंधों में उतार–चढ़ाव के मायने

प्र. उन कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिससे भारत और तुर्की के संबंधों में खटास उत्पन्न हुई है।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली (The National Assembly) को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाया और कहा कि उनका देश इस मामले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करेगा।

परिचय

- तुर्की इस्लामी दुनिया का एक प्रमुख देश है । आजादी से पहले ब्रिटेन जैसे औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में भारत और तुर्की के संबंध मित्रतापूर्ण रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थकों ने संकटग्रस्त तुर्कों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की। हालांकि, यह पारस्परिक सद्भावना 1947 के बाद दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में परिवर्तित नहीं हुई।
- 1947 के भारत-पाक विभाजन के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा हो गया। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्ज्वल भविष्य देखा। गौरतलब है कि मुस्तफा कमाल पाशा (इन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है) की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर ही मजबूत हुए हैं।

सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव

- पिछले कुछ वर्षों में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट आई है। भारत और तुर्की ने द्विपक्षीय व्यापार को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक (अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8.6 अरब डालर का है) पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया था किन्तु ऐसे तनाव के माहौल मे यह संभव प्रतीत नहीं होता है।
- तुर्की तथा पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ती नजदीकियों और कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश तुर्की को भारत रक्षा संबंधी निर्यात में कटौती कर रहा है।
- तुर्की ने हमेशा से भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने का विरोध किया है। उसने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का समर्थन करते हुए इसे भारत की प्रतिक्रिया में उठाया गया कदम करार दिया था। वहीं तुर्की ने 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों पर चिंता जताई थी।
- पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) की परियोजनाओं से जुड़ने के लिए तैयार है।

पाकिस्तान और तुर्की के संबंध

- पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध भारत के तुलना में काफी अच्छे रहे हैं। 2016 में तुर्की में सेना का एर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट नाकाम रहा तो पाकिस्तान खुलकर एर्दोआन के पक्ष में आया था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एर्दोआन को फोन कर समर्थन किया था। इसके बाद शरीफ ने तुर्की का दौरा भी किया था। तब से एर्दोआन और पाकिस्तान के संबंध और अच्छे हुए हैं।
- 2017 से तुर्की ने पाकिस्तान में एक अरब डॉलर का निवेश किया है। तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को मेट्रोबस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी मुहैया कराता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) को लेकर अब भी काम चल रहा है। पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइंस का भी काफी विस्तार हुआ है।

भारत को क्या करना चाहिए

- भारत के साथ राजनयिक संबंधों के इतिहास को साझा करने के बावजूद, लंबे समय तक तुर्की ने इन संबंधों को उचित महत्त्व नहीं दिया। फिर भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं की संख्या बढ़ रही है। तुर्की भी आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है।
- पाकिस्तान की ओर तुर्की के झुकाव को देखते हुए भी भारत को उसके साथ जिन क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं उसमें काम करने की जरुरत है। आर्मेनिया और साइप्रस तुर्की के पड़ोसी देश हैं और इनके बीच ऐतिहासिक दुश्मनी है।
- भारत सरकार ने तुर्की के रुख को देखते हुए इन दोनो देशों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम दिया जाएगा।

आगे की राह

- भारत और तुर्की के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बात कर उसे तार्किक परिणति तक ले जाने पर विचार करना चाहिए। भारत और तुर्की डॉलर में व्यापार करने की जगह अपनी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार कर सकते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम से कम आर्थिक एवं व्यापारिक मामले पर तुर्की भारत के साथ बेहतर संबंध का इच्छुक है।
- तुर्की के समक्ष भारत ने कुर्द समस्या को कभी नहीं उठाया जबकि जगजाहिर है कि दक्षिण तुर्की में कुर्द लोग स्वतंत्र कुर्दीस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन पर हर प्रकार का अत्याचार हो रहा है।
- इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुर्की भी भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय विवाद मे ना पड़े बल्कि विकास और उन्नति के नए रास्तों की तलाश करे। ■

6. पोर्नोग्राफी का बच्चों एवं समाज पर प्रभाव

प्र. भारत में पोर्नोग्राफी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गठित संसदीय समिति के सुझावों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा गठित की गयी 14 सदस्यीय समिति ने बच्चों के यौन शोषण को रोकने और सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी (Pornographic Content) तक पहुँच को रोकने के लिए 40 सिफारिशें की हैं।

पोर्नोग्राफी क्या है

- पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती हैं, जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून (Anti-pornography law) लागू होता है।

संसदीय समिति की सिफारिशें

- समिति की तरफ से की गयी 40 सिफारिशें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्यापक परिभाषा को अपनाने, ऐसी सामग्री के लिए बच्चों तक पहुँच को नियंत्रित करने और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के प्रसार को रोकने, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाने, बच्चों को इसकी पहुँच से वंचित करने, सामग्री की निगरानी, पोर्न देखने की स्थिति का पता लगाने, ऑनलाइन साइटों से ऐसी अश्लील सामग्री को हटाने, ऐसी सामग्री के कम उम्र के बच्चों में उपयोग को रोकने, माता-पिता को बच्चों के इस तरह की सामग्री का जल्दी पता लगाने के लिए सक्षम करने, सरकारों के प्रभावी कार्रवाई करने और एजेंसियों को आवश्यक निवारक और दंडात्मक उपाय आदि करने के लिए अधिकृत करने से सम्बन्धित हैं।

वर्तमान स्थिति

- आजकल इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट सभी के लिए आसानी से मौजूद है। पोर्नोग्राफी का युवाओं के मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है, जिसने समाज के लिए गंभीर चिंताएं खड़ी की हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने या इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए आवाजें उठती रही हैं। इसके विपरीत व्यक्ति के निजता के अधिकारों के हिमायती लोग किसी भी तरह के प्रतिबंध का विरोध करते हैं।
- भारतीय संविधान ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए नीति व कानून बनाने की जिम्मेदारी (अनुच्छेद 39-ई) राज्य को दी है।
- विदित हो कि भारत में हर 10 मिनट में एक पोर्न वीडियो अपलोड हो रहा है। यानी पोर्नोग्राफी एक महामारी की तरह फैल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 15-16 साल की उम्र के 65 फीसदी और 11-16 साल की उम्र की 48 फीसदी बच्चे ऑनलाइन पोर्न की वजह से प्रभावित हैं। वहीं 28 फीसदी बच्चों को इंटरनेट पर ब्राउजिंग के वक्त पोर्न साइट्स के लिंक मिले जबकि 19 फीसदी बच्चों ने सीधे सर्च करके पोर्न देखा।

प्रभाव

- जानकारों का कहना है कि पोर्नोग्राफी देखने से बच्चों का दिमाग स्वाभाविक तरीके से बढ़ नहीं पाता। "पोर्नोग्राफी की तस्वीरें देखते और उससे जुड़ी आवाजें सुनते वक्त, बच्चों का दिमाग जिस तरीके

से काम करता है, उसकी जाँच करने से पता चला है कि पोर्नोग्राफी देखने से बच्चों का दिमाग स्वाभाविक तरीके से काम नहीं करता। यानी किसी बात को पहले ठीक-ठीक समझकर फिर उसे कबूल करने की स्वाभाविक प्रक्रिया बिगड़ जाती है।

- यह बच्चों के 'कच्ची मिट्टी' जैसे दिमाग जो किसी भी तरह से ढलने को तैयार रहता है के लिए खतरनाक है। क्योंकि पोर्नोग्राफी से वे हकीकत को समझने की काबिलीयत खो देते हैं। इससे उनके सोच-विचार और सेहत पर बुरा असर होता है, और उन्हें जिंदगी से सच्ची खुशी नहीं मिलती।

चुनौतियाँ

- अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार को पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने में दखल देना चाहिए? इसके खिलाफ एक तर्क यह है कि तकनीकी कारणों से इस तरह के कानून को लागू करना असंभव होगा, क्योंकि सभी इंटरनेट कंपनियों के सर्वर भारत से बाहर हैं। यहाँ तक कि सर्वरों में भरी गई सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है और पोर्नोग्राफी पर किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंध के तरीके और साधन नहीं हैं।

निष्कर्ष

- पोर्नोग्राफी पूरे विश्व में एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है। विश्व के कई देशों ने इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया है जिसमें की भारत भी एक है। भारत ने पोर्नोग्राफी के कई साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है फिर इसे रोका नहीं जा सका है क्योंकि इनके अलावा भी कई साइटों पर पोनोग्राफी की सामग्री उपलब्ध है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साइटों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सरकार को इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाना चाहिए खासकर बच्चों में। ■

7. भारत में सरोगेसी : मुद्दे एवं चुनौतियाँ

प्र. हाल ही में पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 के संदर्भ में बतायें कि यह विधेयक भारत में अवैध सरोगेसी को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में गठित स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने भारत में सरोगेसी संबंधी विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। देश में सरोगेसी का व्यावसायिक प्रयोग को रोकने के लिए संसदीय समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

संसदीय समिति के मुख्य सुझाव

- करीबी रिश्तेदार होने की शर्त को खत्म करने के साथ-साथ सरोगेसी के लिए शादी के पाँच साल बाद ही मंजूरी दिए जाने की बाध्यता भी खत्म करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि इससे सरोगेट माँ का मिलना कठिन हो सकता है।
- इसमें सुझाव दिया गया है कि किसी भी 'इच्छुक' महिला को सरोगेट माँ बनने की अनुमति दी जानी चाहिये। साथ ही यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने सरोगेसी को मंजूरी दे दी है तो अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।
- समिति ने सरोगेट माँ के शादीशुदा होने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने का सुझाव दिया है।

चुनौतियाँ

- सरकार ने हालांकि इस विधेयक के जरिए देश में सरोगेसी की आड़ में हो रहे गरीब महिलाओं के शोषण और इस प्रक्रिया के एक व्यवसाय के रूप में फलने-फूलने की स्थिति पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन देश में कुछ निहित स्वार्थी तबके इसके सफल क्रियान्वयन में बाधा बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि यह विधेयक 2016 से ही बार-बार संसद में लाया जाता रहा लेकिन किसी न किसी वजह से पारित नहीं हो पा रहा था।
- कई विश्लेषक सरोगेसी को औरतों पर एक और प्रताड़ना बताते हैं। वे सरोगेसी के बजाए आइवीएफ और एडॉप्शन (गोद लेना) को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके अनुसार आज भारत में कई बच्चे ऐसे हैं जो माँ का आंचल चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गोद नहीं ले रहा है।
- सरोगेसी संबंधी कानून के गलत इस्तेमाल पर सरकार ने सजा का प्रावधान तो रखा है लेकिन कोई महिला कैसे साबित करेगी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र का अभाव है।

आगे की राह

- सरोगेसी के साथ-साथ देश में आइवीएफ और एडॉप्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी कानून मानवाधिकार, माँ और बच्चे के मौलिक अधिकार आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इसमें इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि महिलाएँ सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर न रह जाएं अर्थात इस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी के बाद होने वाली समस्याओं को भी दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय कैबिनेट ने एआरटी पर अपनी मुहर लगा दी है लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यापक जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा एआरटी क्लिनिक भारत में कम हैं, जिसे कम से कम जिलेवार बढ़ाया जाना चाहिए।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

आरबीआई के लेखांकन वर्ष में बदलाव

पृष्ठभूमि

2.1 जब 1 अप्रैल, 1935 में आरबीआई (RBI) का परिचालन शुरू हुआ तो इसका लेखांकन वर्ष जनवरी–दिसंबर था। किंतु 11 मार्च, 1940 को बैंक ने अपना लेखांकन वर्ष बदलकर जुलाई–जून कर दिया था। विदित हो कि उस समय सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के गवर्नर थे।

2.2 आरबीआई का मौजूदा वित्तीय वर्ष 30 जून को समाप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 का वित्तीय वर्ष जुलाई से शुरू होकर 9 माह बाद ही 3 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगा।

2.3 इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा, वो हर साल एक अप्रैल से शुरू होगा, ताकि सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ मिलान हो सके।

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केन्द्रीय बोर्ड ने देश के वित्त के अधिक प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अपना लेखा वर्ष 2020–21 से केन्द्र सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ समारेखित करने का निर्णय लिया है।

1.2 गौरतलब है कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष एक जुलाई से जबकि सरकार का वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है।

आरबीआई के लेखांकन का महत्त्व एवं कार्य

3.1 आरबीआई की बैलेंस शीट देश की अर्थव्यवस्था के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह बड़े पैमाने पर इसके मुद्रा संबंधित कार्यों के कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित प्रबंधन उद्देश्यों के लिए की गई गतिविधियों को भी दर्शाती है।

3.2 आरबीआई अधिनियम कहता है कि केंद्रीय बैंक, केंद्र सरकार के लिये धनराशि स्वीकार करने तथा क्रेडिट करने के लिये राशि का भुगतान और विनिमय के अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के साथ-साथ प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन करेगा।

3.3 आरबीआई देश का मौद्रिक प्राधिकरण, नियामक और वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, मुद्रा जारी करने वाला, नियामक, भुगतान और निपटान प्रणालियों का पर्यवेक्षक, केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर, और बैंकों का भी बैंकर है।

लेखांकन वर्ष में बदलाव क्यों

4.1 आरबीआई की आर्थिक पूँजी फ्रेमवर्क (ECF) पर बिमल जालान समिति ने आरबीआई के वार्षिक खातों की अधिक पारदर्शी प्रस्तुति का प्रस्ताव दिया था, और वित्त वर्ष 2020–21 से इसके लेखांकन वर्ष को अप्रैल से मार्च करने का प्रस्ताव दिया था।

4.2 समिति ने कहा था कि कि इस कदम से बजटीय उद्देश्यों के लिए वित्त वर्ष के लिए सरकार को अनुमानित अधिशेष हस्तांतरण का बेहतर अनुमान प्रदान करने में सक्षम होगा।

4.3 इसके अलावा, सरकारें, कंपनियां और अन्य संस्थान अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष का पालन करते हैं, इससे लेखांकन के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी।

बदलाव का क्या होगा असर

5.1 वित्तीय वर्ष में बदलाव से आरबीआई द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंतरिम लाभांश की आवश्यकता कम हो सकती है, और इस तरह के भुगतान तब असाधारण परिस्थितियों तक सीमित हो सकते हैं।

5.2 गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में, RBI ने अंतरिम लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

5.3 RBI की मौद्रिक नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि लेखांकन वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेखित किया जाये ताकि देश की आर्थिक स्थितियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके।

सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक, 2020

चर्चा का कारण

1.1 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक 'सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020' को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020' महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए अनेक कानूनों की शृंखला में नवीनतम कदम है।

2.2 इस विधेयक के जरिये राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री और राज्य पंजीकरण प्राधिकरण सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से जुड़े क्लिनिकों एवं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों का नियमन एवं निगरानी करेंगे।

प्रमुख प्रावधान

3.1 देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं में सुरक्षित एवं नैतिक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

3.2 पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। एआरटी केन्द्रों और हर साल होने वाले एआरटी चक्रों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत भी शामिल है।

3.3 राष्ट्रीय बोर्ड भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला एवं नैदानिक उपकरणों तथा क्लिनिकों एवं बैंकों में रखे जाने वाले विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका पालन क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को करना होगा।

3.4 केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के तीन महीनों के भीतर राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश इसके लिए राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे।

3.5 राज्य बोर्ड पर संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी।

3.6 सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं के नियमन का मुख्य उद्देश्य संबंधित महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना है।

3.7 विधेयक में केन्द्रीय डेटाबेस के रख-रखाव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के कामकाज में उसकी सहायता के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री एवं पंजीकरण प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है।

3.8 विधेयक में उन लोगों के लिए कठोर दंड का भी प्रस्ताव किया गया है, जो लिंग जांच, मानव भ्रूण अथवा जननकोष की बिक्री का काम करते हैं और इस तरह के गैर-कानूनी कार्यों के लिए एजेंसियां/गोरखधंधा/संगठन चलाते हैं।

सहायक प्रजनन तकनीक क्या है

4.1 सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से बाँझपन की समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं।

4.2 सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिये शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है।

4.3 भारत में इससे संबंधित क्लिनिक अब जननकोश दान करना, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (आईयूआई), आईवीएफ, आईसीएसआई, पीजीडी और गर्भकालीन सरोगेसी जैसी लगभग सभी तरह की एआरटी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

लाभ

5.1 इस कानून का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं का नियमन करेगा।

5.2 अतः यह कानून बांझ दम्पत्तियों में सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) के तहत नैतिक तौर-तरीकों को अपनाए जाने के संबंध में कहीं अधिक भरोसा पैदा करेगा।

चिंताएँ

6.1 वैसे तो इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) सहित सहायक प्रजनन तकनीक ने बांझपन के शिकार तमाम लोगों में नई उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं।

आगे की राह

7.1 डिम्बाणुजन कोशिका दाता को बीमा कवर मुहैया कराने एवं कई भ्रूण आरोपण से संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है और इसके साथ ही सहायक प्रजनन तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चों को किसी जैविक बच्चे की भांति ही समान अधिकार देने की आवश्यकता है।

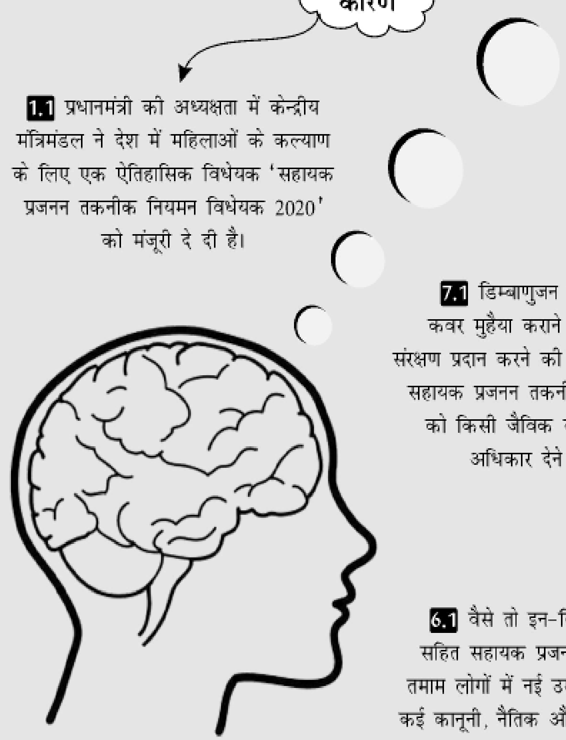

आदित्य-एल-1

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि वह सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य एल-1 नामक मिशन 2020 के अंत में लॉन्च करेगा।

आदित्य एल-1 क्या है

2.1 आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया है।

2.2 इसे 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसरो ने 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में आदित्य एल-1 को वर्गीकृत किया है।

2.3 इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) XL का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।

2.4 यह सूर्य के वायुमण्डल और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूर्य की बहुत करीब से लगातार अवलोकन करेगा।

सूर्य का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों हैं

3.1 सौर मौसम और पर्यावरण, जो सूर्य के अंदर और आसपास होने वाली प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, पूरे सोलर सिस्टम के मौसम को प्रभावित करता है।

3.2 इस मौसम में भिन्नताएँ उपग्रहों की कक्षाओं को बदल सकती हैं या उनके जीवनकाल को समाप्त कर सकती हैं, उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकती है, या पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार को बाधित कर सकती है और अन्य गड़बड़ी पैदा कर सकती है।

3.3 अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है।

3.4 पृथ्वी पर उत्पन्न तूफानों के बारे में जानने और उन्हें ट्रेक करने और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए, निरंतर सौर अवलोकन की आवश्यकता होती है।

3.5 एल-1 का अर्थ है लैग्रेन्जियन/लैग्रेंज पाइंट 1, जो पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के (Orbital plain) कक्षीय समतल में पाँच बिंदुओं में से एक है।

3.6 लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली-फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ-लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था, लैग्रेंज पाइंट ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ दो अंतरिक्षीय बॉडी (जैसे सूर्य और पृथ्वी) के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्रों का उत्पादन करते हैं।

3.7 एल-1 बिन्दु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन कि.मी. दूर है।

हेलो ऑर्बिट

4.1 वह उपग्रह जो लैंग्रेन्ज बिंदु के चारों ओर जिस परिक्रमीय मार्ग पर घूमता है उसे "हेलो-ऑर्बिट" कहते हैं।

निर्यात संवर्द्धन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा (2019-20) में निर्यात को बढ़ाकर भारत की विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन पर बल दिया गया है।

1.2 अभी भारत सेवा क्षेत्र में अधिक निर्यात करता है।

परिचय

2.1 भारत का सेवाओं का निर्यात वस्तुओं की अपेक्षा लगभग दोगुना है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि सेवा के साथ-साथ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में रोजगार का सृजन अधिक होता है।

2.2 इस समय भारत जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है, अत: भारत सरकार चीन की ही तरह अपने देश को एक 'उत्पादन हब' बना सकती है इससे कार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

2.3 भारत को 'उत्पादन हब' बनाने हेतु सरकार ने कई योजनाओं की शुरूआत की है, यथा- एमईआईएस, एसईआईएस, ईपीसीजी योजना, अग्रिम स्वीकृत योजना, डीएफआईए योजना, आईएम, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी योजना, मानित निर्यात योजना, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु टीएमए योजना और टीआईईएस।

प्रमुख योजनाओं का विवरण

3.1 एमईआईएस (भारत से वाणिज्यिक वस्तु निर्यात योजना) का उद्देश्य, भारत में उत्पादित/विनिर्मित माल/उत्पादों के निर्यात में आने वाली अवसंरचनात्मक अदक्षताओं को दूर करना और संबंधित लागतों को कम करना है।

3.2 इस योजना की शुरूआत 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत निर्यात क्षेत्र में डिजिटलीकरण को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है।

ईपीसीजी योजना

4.1 एसईआईएस (भारत से सेवाओं के निर्यात की योजना) के तहत, उन सेवा प्रदाताओं को जो भारत से शेष विश्व में अधिसूचित सेवाएँ उपलब्ध करवाकर निवल विदेशी मुद्रा आय करते हैं, उन्हें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में (Recoard) पारितोषिक उपलब्ध है।

4.2 यह योजना निर्यातकों को उत्पादन-पूर्व, और उत्पादन पश्चात के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूँजीगत माल के आयात (कुछ निर्दिष्ट मदों को छोड़कर) की अनुमति देती है।

अग्रिम स्वीकृत योजना

5.1 अग्रिम स्वीकृत योजना के तहत आगत (Inputs) के शुल्करहित आयात की अनुमति प्रदान की जाती है जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पादों में समाहित होती है।

डीएफआईए व आईईएस

6.1 डीएफआईए (सीमा शुल्क मुक्त आयात स्वीकृत) उन उत्पादों के लिए जारी की जाती है जिनके लिए मानव आगत-निर्गत नार्म्स अधिसूचित किये जाते हैं।

6.2 आईईएस (ब्याज समकारी योजना), शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए है।

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी योजना

7.1 निर्यात उन्मुखी इकाईयाँ (ईओयू)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) नामक इन चार योजनाओं का उद्देश्य निर्यात व विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देना, निर्यात हेतु निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन पर बल देना है।

मानित निर्यात योजना व टीआईईएस

8.1 इस योजना के तहत विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कुछ वस्तुओं के निर्यात पर छूट प्रदान की जाती है।

8.2 टीआईईएस (निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना) के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर निर्यात हेतु उपयुक्त अवसंरचना को बढ़ावा देती हैं।

आगे की राह

9.1 भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने हेतु वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देना होगा ताकि वैश्विक बाजार में वे प्रतिस्पर्द्धी बन सकें।

9.2 निर्यात व्यापार हेतु सरकार को देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को उन्नत बनाना होगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम (जी) की शुरुआत के समय 38.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

2.2 इस मिशन के शुरू होने के बाद 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित किया।

उद्देश्य

3.1 इसमें खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) भी शामिल होगा।

3.2 इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जायेगा कि हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे।

3.3 एसबीएम-जी का दूसरा चरण रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से प्रोत्साहन देना जारी रखेगा।

3.4 साथ ही एसएलडब्ल्यूएम के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, शोधन संयंत्र आदि का विकास किया जाएगा।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

4.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नये पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा।

4.2 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए वित्त पोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है।

4.3 इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

4.4 इस कार्यक्रम का परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो शीघ्र ही राज्यों को जारी किए जाएंगे।

4.5 केन्द्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 90:10, अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच 100:0 होगा।

अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर

5.1 ओडीएफ प्लस के एसएलडब्ल्यूएम घटक की निगरानी चार प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाएगी: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है), धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन।

आगे की राह

6.1 एसबीएम-जी चरण-2 के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ग्रामीण भारत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने और इससे देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार करने में मदद मिलेगी।

6.2 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) व सभी राज्यों को इस बात की पुनः पुष्टि कर लेना चाहिए कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो और यह सुनिश्चित करने के दौरान अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती है तो उसको व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाये ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पीछे न छूटे।

महामारी का मुकाबला जरूरी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में द हिन्दू (THE HINDU) नामक अखबार मे Gearing up to fight the next big viral outbreak(अगले बड़े वायरल प्रकोप से लड़ने के लिए कमर कस लें) नामक शीर्षक से एक लेख छपा। इस लेख में इस बात पर जोर डाला गया है कि किसी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है।

प्रमुख बिन्दु

2.1 कोरोना वायरस,जो दुनिया भर में आतंक का कारण बन रहा है भारत जैसे विकासशील देश इससे निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।

2.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पाया गया है कि कोई भी देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है।

2.3 इस सूची में केवल 13 देश हैं जो शीर्ष पर रहे हैं। इनमें से अमेरिका पहले स्थान पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक विश्व स्तर पर महामारी और महामारी के खतरों का पहला व्यापक मूल्यांकन है। इस सूंचकांक मे भारत का स्थान 57वां है।

2.4 गौरतलब है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक छह श्रेणियों में 195 देशों का आंकलन करता है -रोकथाम, जल्दी पता लगाने, तेजी से प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता, मानक और जोखिम का वातावरण।

4-बिंदु स्वास्थ्य एजेंडा

3.1 नए प्रकोपों की संभावना को देखते हुए चार प्रकार के कदमों की तत्काल आवश्यकता है- प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में बेहतर सहयोग, स्वास्थ्य प्रणालियों, परिणामों और शिक्षा में अधिक निवेश व पर्यावरण और जैव विविधता की बेहतर देखभाल, जो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती है।

थाईलैंड से सबक

4.1 स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में थाईलैंड को छठा स्थान दिया गया है -थाईलैंड स्वास्थ्य क्षेत्र मे काफी सक्रिय है यह-रोग की रोकथाम व उसका जल्दी पता लगाने, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के मामले में एशियाई देश में अग्रणी है।

4.2 जब घातक मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (MERS), जो एक कोरोनावायरस के कारण होता है, 2015 में फैल गया था जिस पर , थाईलैंड ने तुरंत कार्रवाई की और डब्ल्यूएचओ को सूचित किया किन्तु वर्तमान में चीन के अधिकारियों द्वारा कोरोनावायरस के बारे मे देरी से सूचना दी गयी।

भारत की स्थिति

5.1 राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में 2009 इन्फ्लूएंजा ए (एच 1 एन 1) का प्रकोप काफी बढ़ा था किन्तु इस रोग का बेहतर ढंग से पता लगाने, लक्षणों की पहचान करने मे देरी की गयी थी।

5.2 भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से कम है, जो मध्यम आय वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर केवल 80 डॉक्टर हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश की आवश्यकता

6.1 केरल मे 2018 मे फैले घातक निपाह वायरस से राज्यों को सबक मिला कि त्वरित निदान के लिए उपकरणों की उपलब्धता, बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय, और सार्वजनिक सूचना अभियान कितना महत्वपूर्ण है।

6.2 एचएसबीसी ने 67 देशों का अध्ययन किया और भारत के बारे मे कहा कि वह सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील के रूप मे स्थित है। इसका कारण यह है कि यहाँ तापमान और वायुप्रदूषण में वृद्धि और वर्षा की मात्रा में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं।

6.3 इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव से देश की आबादी के बड़े हिस्से को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत में रोगों से संबन्धित अनुसंधान मे बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है।

आगे की राह

7.1 भारत में प्रत्येक राज्य को प्रयास करना चाहिए कि वह पर्याप्त उपकरण जैसे नैदानिक उपकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्यकर प्रथाओं, रोकथाम और उपचार प्रोटोकॉल जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को सुधारें।

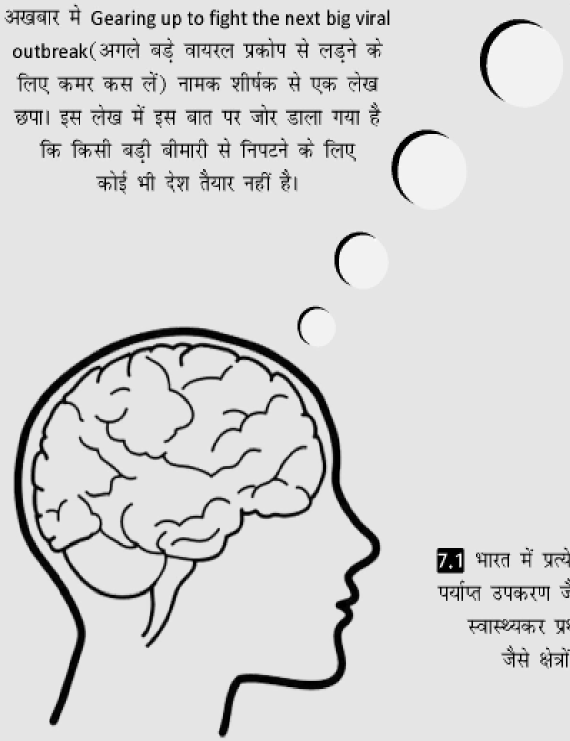

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को नया रूप देने की मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

2.1 फरवरी 2016 में शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत, ऋण लेने वाले किसानों के लिये बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य किया गया था।

2.2 इसमें खरीफ फसलों के लिए दो फीसदी, रबी फसलों के बीमा संरक्षण के लिए 1.5 फीसदी और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए पाँच फीसदी की दर से प्रीमियम रखा गया है।

2.3 हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने बजट से सामान्य सब्सिडी के ऊपर और अधिक सब्सिडी देने के लिए स्वतंत्र हैं।

2.4 इस समय देश के करीब 58 फीसदी किसानों ने फसल कर्ज ले रखा है।

प्रमुख बदलाव

3.1 बीमा कम्पनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों)

3.2 पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत केन्द्रीय सब्सिडी असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 30 प्रतिशत तक प्रीमियम दरों के लिए सीमित होगी और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25 प्रतिशत होगी।

3.3 50 प्रतिशत या उससे अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र/जिला (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों) के रूप में माना जाएगा।

3.4 योजना लागू करने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए लचीलापन होगा और उनके पास प्रतिबंधित बुआई, स्थानीय आपदा, मध्य सीजन में विपरीत परिस्थिति तथा फसल कटाई के बाद के नुकसानों जैसे अतिरिक्त जोखिम कवर/विशेषताओं में से कोई एक या अनेक चुनने का विकल्प होगा।

3.5 योजना लागू करने वाली बीमा कम्पनियों के लिए राज्यों द्वारा कटऑफ तिथि से आगे पैदावार डाटा का प्रावधान नहीं करने की स्थिति में टेक्नोलॉजी समाधान के उपयोग के माध्यम से निश्चित पैदावार के आधार पर दावे निपटाए जाएंगे।

3.6 योजना के अंतर्गत नामांकन सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया जाएगा। (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों)

3.7 प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्रीय हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्तमान 50:50 की साझा व्यवस्था से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाएगा। (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों)

3.8 प्रशासनिक खर्चों के लिए योजना की कुल आवंटन का कम से कम 3 प्रतिशत का प्रावधान भारत सरकार तथा योजना लागू करने वाली राज्य सरकार करेगी।

प्रभाव

4.1 इस फैसले से राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा।

4.2 राज्य पहले से ही अपने हिस्से के पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, और केंद्र की नई दरें उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल देंगी।

4.3 केंद्र कुछ क्षेत्रों में कुछ फसलों के बीमा का समर्थन करना बंद कर सकता है जहां प्रीमियम की दर 30% से अधिक है।

4.4 इसके अलावा, इस कदम से प्रीमियम की दरों में वृद्धि होगी, क्योंकि बीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और नामांकित किसानों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होने की उम्मीद है।

लाभ

5.1 किसान बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन में जोखिम प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और कृषि आय को स्थिर बनाने में सफल होंगे।

5.2 इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज बढ़ेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान बेहतर तरीके से कृषि जोखिम प्रबंधन में सक्षम होंगे।

5.3 इन परिवर्तनों के बाद सटीक पैदावार आंकलन होगा, जो बीमा के दावों के निपटान में मदद करेगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. आरबीआई के लेखांकन वर्ष में बदलाव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वित्तीय वर्ष जुलाई से जून को बदलकर अप्रैल से मार्च करने का निर्णय किया है।
2. बिमल जालान समिति बैंकों के डिजिटलीकरण से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के वित्त के अधिक प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अपना लेखा वर्ष 2020-21 से केन्द्र सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ समारेखित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष एक जुलाई से जबकि सरकार का वित्त वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है। ज्ञातव्य है कि बिमल जालान समिति आरबीआई की आर्थिक पूँजी फ्रेमवर्क (ECF) से संबंधित है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

2. सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक, 2020

प्र. सहायक प्रजनन तकनीक नियमन, विधेयक, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस विधेयक के तहत राष्ट्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्डों का गठन किया जाएगा।
2. सहायक प्रजनन तकनीक सेवाओं के नियमन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना है।
3. सहायक प्रजनन तकनीक से बांझपन की समस्या का समाधान किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री और राज्य पंजीकरण प्राधिकरण सहायक प्रजनन तकनीक से जुड़े क्लिनिकों एवं सहायक प्रजनन तकनीक बैंकों का नियमन एवं निगरानी करेंगे। राज्य बोर्ड पर संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। ■

3. आदित्य एल-1

प्र. आदित्य एल-1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान है।
2. यह भारत का पहला सौर मिशन है।
3. इसे 2022 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)XL का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है जबकि कथन 3 गलत है। ■

4. निर्यात संवर्द्धन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत का सेवाओं का निर्यात वस्तुओं की अपेक्षा लगभग दोगुना है।
2. एमईआईएस योजना के तहत आयात क्षेत्र में डिजिटलीकरण को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा (2019-20) में निर्यात को बढ़ाकर भारत की विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। एमईआईएस योजना की शुरूआत 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत निर्यात क्षेत्र में डिजिटलीकरण को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

5. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–2

प्र. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस मिशन में खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखने के साथ-साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी शामिल किया गया है।
2. देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएस (जी) की शुरूआत के समय 38.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
3. सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित किया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाएगा कि हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नये पात्र घरों को 12,000 रुपय की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। ■

6. महामारी का मुकाबला जरूरी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% हैं।
2. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 120 डॉक्टर है।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पाया गया है कि सभी विकसित देश बड़े संक्रामक रोगों से निपटने के लिए तैयार हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पाया गया है कि कोई भी देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है। भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से भी कम है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर केवल 80 डॉक्टर हैं। इस प्रकार तीनों कथन गलत हैं। ■

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्र. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना के अंतर्गत नामांकन सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया जाएगा।
2. बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा।
3. इस समय देश के करीब 85 फीसदी किसानों ने फसल कर्ज ले रखा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूवीसीआईएस)को नया रूप देने की मंजूरी दी है। फरवरी 2016, में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य किया गया था, जिसे अब स्वैच्छिक बना दिया गया है। इस समय देश के करीब 58 फीसदी किसानों ने फसल कर्ज ले रखा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है जबकि कथन 3 गलत है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. अटल किसान-मजदूर कैंटीन योजना किस राज्य से संबंधित है?

-हरियाणा

2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है?

-ग्रामीण विकास मंत्रालय

3. प्रोजेक्ट तेज, जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया था?

-तेलंगाना

4. वार्षिक 'नेचर रैंकिंग इंडेक्स -2020' के अनुसार, किस भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है?

-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

5. भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना है?

-3 वर्ष

6. राम मंदिर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है?

-नृपेन्द्र मिश्रा

7. हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर किस खेल से जुड़ी हुई हैं?

-कुश्ती

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. आरबीआई द्वारा अपने लेखांकन वर्ष में बदलाव से अर्थव्यवस्था पर होने वाले संभावित लाभों को गिनाइए।

2. सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक, 2020 के प्रमुख प्रावधानों व इसके लाभों की चर्चा करें।

3. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत किसी बड़ी संक्रामक बीमारी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

4. भारत में कुपोषण के कारणों की चर्चा करते हुए बताएं कि सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

5. भारत के लिए मालदीव के साथ मधुर संबंध बनाये रखना समय और परिस्थिति दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक है। चर्चा कीजिए।

6. देश में अभी तक कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनती रही हैं, उनका लाभ लघु और सीमांत किसानों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाया है। चर्चा कीजिए।

7. राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चिंता जताने के बावजूद भी राजनीतिक दल इस दिशा में कदम उठाने से बच रहे हैं। टिप्पणी कीजिए।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विलुप्त होने की कगार पर पक्षियों की कई प्रजातियां

- प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीएमएस) भारतीय पक्षियों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, अभी इसका प्रारूप जारी किया गया है।
- इसके अनुसार देश में 52 प्रतिशत पक्षियों की संख्या दीर्घकालिक तौर से घट रही है, वहीं 146 प्रजातियाँ अल्पकालिक खतरे में हैं जिससे धीरे-धीरे उनके विलुप्त होने की आशंका पैदा हो गई है। इसमें पता चला है कि वर्ष 2000 से अब तक 52 प्रतिशत पक्षियों की संख्या घटी है। इस 52 प्रतिशत में भी 22 प्रतिशत की संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। शेष 48 प्रतिशत में पांच प्रतिशत पक्षियों की संख्या बढ़ी है, जबकि 43 प्रतिशत की संख्या लगभग स्थिर है। राहत की बात यह है कि आम धारणा के विपरीत अध्ययन में यह पाया गया कि 25 साल से ज्यादा की अवधि में गौरैया की संख्या करीब-करीब स्थिर है। वहीं मोर की संख्या बढ़ रही है।
- गिद्ध के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी संख्या पहले घट रही थी, लेकिन अब यह बढ़ने लगी है। लंबी अवधि में जिन पक्षियों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है, उनमें पीले पेट वाली कठफोड़वा, कॉमन वुडश्रीक, छोटे पंजों वाली स्नेक ईगल, कपास चैती, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीनशैंक आदि शामिल हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ ही तीन और तरह के बस्टर्ड भारत में पाए जाते हैं। ये हैं मैकक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्रोलिकन और बंगाल फ्रोलिकन। इन सभी की आबादी तेजी से घटी है।
- अध्ययन में छह पक्षियों को छोड़कर सभी के बारे में उनके आवास क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध हैं। इनमें 33 प्रतिशत प्रजातियों का आवास क्षेत्र विस्तार हुआ है, 46 प्रतिशत के आवास अपरिवर्तित है, 21 प्रतिशत सीमित क्षेत्र में रह गए हैं। प्रारूप रिपोर्ट में 17 को बेहद असुरक्षित की श्रेणी में, 15 को असुरक्षित की श्रेणी में, 52 को संभावित खतरे वाली श्रेणी में, 52 को असुरक्षित की कगार पर और 731 को कम चिंताजनक की श्रेणी में रखा गया है।
- दुनिया के प्रमुख जैव विविध क्षेत्र के तौर पर मशहूर पश्चिमी घाट में पक्षियों की संख्या में वर्ष 2000 से लेकर अब तक लगभग 75% की कमी आई है। ■

2. थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि इस मछली का पालन अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। महाराष्ट्र में इस मछली की प्रजाति को आमतौर पर थाई मांगुर या विदेशी मांगुर या अफ्रीकी मांगुर कहा जाता है। इस मछली की प्रजाति का पालन जिन अस्वच्छ परिस्थितियों में की जा रही है उससे लोग बीमार पड़ सकते हैं।
- इस मछली को वर्ष 1998 में सबसे पहले केरल में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में देश भर में इसकी बिक्री पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था।
- मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक के अनुसार इसका पालन बाग्लादेश में ज्यादा किया जाता है। वहीं से इस मछली को भारत में निर्यात किया जाता है। अवैध बिक्री को लेकर कई बार छापे भी मारे गये पर कोई कानून न होने की वजह से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है।
- मछली मंडियों में इसकी खुले आम बिक्री होती रहती है।
- थाई मांगुर का वैज्ञानिक नाम क्लेरियस गेरीपाइंस है। मछली पालक अधिक मुनाफे के चक्कर में तालाबों और नदियों में प्रतिबंधित थाई मांगुर को पाल रहे हैं क्योंकि यह मछली चार महीने में ढाई से तीन किलो तक तैयार हो जाती है जो बाजार में करीब 30-40 रुपए किलो मिल जाती है। इस मछली में 80 फीसदी लेड एवं आयरन के तत्व पाए जाते हैं।
- थाईलैंड में विकसित की गई मांसाहारी मछली की विशेषता यह है कि यह किसी भी पानी (दूषित पानी) में तेजी से बढ़ती है।
- जहां अन्य मछलियां पानी में ऑक्सीजन की कमी से मर जाती है, वहीं दूसरी ओर थाई मांगुरी इस परिस्थिति में भी जीवित रहती है। थाई मांगुर छोटी मछलियों समेत यह कई अन्य जलीय कीड़े-मकोड़ों को खा जाती है इससे तालाब का पर्यावरण भी खराब हो जाता है।
- राष्ट्रीय मत्स्य आंनुवशिकी ब्यूरो के अनुसार इसका सेवन मुनष्यों के सेहत के लिए काफी खराब है इससे मनुष्यों में कई घातक बीमारियां हो सकती है। लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान भी चलाया जाता है लेकिन बाजारों में कोई रोक-टोक न लगने के कारण इसकी बिक्री आसानी से की जा रही है। ■

3. 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गयी है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। ज्ञातव्य है कि विधि आयोग जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देता है।

भारतीय विधि आयोग निम्न कार्य करेगा

- यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नही है या वे अप्रासंगिक हैं और जिन्हें तुरन्त निरस्त किया जा सकता है।
- राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों का सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेषित किया गया है।
- विधि और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना।
- गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना।
- सामान्य महत्त्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।
- अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें आयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।
- विधि आयोग भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठन किया गया था और इसका प्रत्येक 3 साल के लिए पुनर्गठन किया जाता है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं। विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। ■

4. असुर रेडियो की शुरूआत

- हाल ही में झारखंड में आदिवासियों ने अपनी भाषा-संस्कृति को बचाने की मुहिम की शुरुआत 'असुर रेडियो' से की है। भारत में यह पहला मौका है जब किसी विलुप्तप्राय आदिवासी समुदाय ने अपनी भाषा में अपने रेडियो की शुरुआत की है।
- पिछले माह 19 जनवरी को इसका पहला प्रसारण नेतरहाट के पास कोटेया साप्ताहिक बाजार में किया गया। यह लातेहार जिले के चौनपुर प्रखंड का एक गांव है।
- गौरतलब है कि यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनेस्को द्वारा पिछले वर्षों में जारी वर्ल्ड स्पेसिफिक डेंजर लैंग्वेजेज की सूची में असुर भाषा को भी शामिल किया गया है।

कौन हैं असुर

- असुर आदिवासी झारखंड के लातेहार, गुमला और कुछ दूसरी जगहों पर निवास करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अब इनकी संख्या दस हजार से भी कम हो चुकी है। कहा जाता है कि असुरों ने ही दुनिया को लोहा गलाने की तकनीक सिखाई। इनके द्वारा गलाए और पॉलिश किए गए लोहे पर कभी जंग नहीं लगती है।
- मान्यता है कि कुतुबमीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का लोहा भी इन्हीं असुरों ने बनाया था। ■

5. भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश

- हाल ही में भारत फिर से दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इसने इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में यह कहा गया है।
- बड़ी अर्थव्यवस्था का आकलन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आधार पर किया गया है जबकि वर्ल्ड बैंक की 2019 में जारी रिपोर्ट में कहा था कि 2018 में भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दो पायदान फिसलकर सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया था।
- वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में जीडीपी विकास दर गिरने की संभावना भी जताई गई है। इसने कहा है कि लगातार तीसरे साल जीडीपी विकास दर 7.5 से गिरकर 5 फीसदी तक पहुँच जाएगी। ज्ञातव्य है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी मूडीज ने भी साल 2020 के लिए विकास की दर के अनुमान में कटौती कर दी है।
- मूडीज ने पहले कहा था कि इस साल भारत में विकास दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है, पर अब उसने कहा है कि यह 5.4 प्रतिशत तक सिमट सकती है। दूसरी कई एजेंसियों ने भी जीडीपी के कम होने की संभावना जताई है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर नकारात्मक संकेत दे रही है। प्रमुख कोर सेक्टर्स की रफ्तार नकारात्मक हो गई है। बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। महँगाई बढ़ी है। लोगों के पास उतनी आमदनी नहीं है कि वे खर्च कर सकें और इसलिए बाजार में माँग काफी कम हो गई है।
- हालाँकि इस ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जीडीपी 2.94 ट्रिलियन अमेरिकी

डॉलर है, जबकि इंग्लैंड का 2.83 और फ्रांस का 2.71 अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की गई है कि 1990 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, औद्योगिक सुधार किए गए, विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के मामले में नियंत्रण को कम किया गया और सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया। इससे भारत को आर्थिक विकास की गति पकड़ने में सहायता मिली।

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का सेवा क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसका अर्थव्यवस्था में करीब 60 फीसदी और नौकरियों में 28 फीसदी योगदान है। ■

6. वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स

- इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में वर्ष 2019 के लिए 'वर्ल्डवाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स' प्रकाशित किया। इस सूचकांक में भारत ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 35 वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- यह रैंकिंग किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के आधार पर तैयार की जाती है। इस सूचकांक में भारत 53 के समग्र स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रहा। यह स्कोर तीन मानकों में देशों के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया गया, यह मानक हैं: शिक्षण, नीति वातावरण और शिक्षण वातावरण।
- 2018 में, भारत 41.2 के समग्र स्कोर के साथ 40 वें स्थान पर था। नीति पर्यावरण में, भारत ने 56.3 का स्कोर हासिल किया, शिक्षण वातावरण में भारत का स्कोर 52.2 था और सामाजिक-आर्थिक वातावरण में भारत का स्कोर 50.1 था।
- भारत ने सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2018 में सामाजिक-आर्थिक परिवेशे में इसका स्कोर 32.2 था। हालांकि, नीति के माहौल में प्रदर्शन में कमी आई क्योंकि 2018 में इस क्षेत्र में स्कोर 61.5 था।
- सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो देश अपनी रैंकिंग में वापस आ गए हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। जबकि भारत चीन और इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। ■

7. अल्ट्रामैसिव गैलेक्सी एक्सएमएम-2599 की खोज

- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों के नेतृत्व में खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने XMM-2599 के रूप में डबस्मैश नामक एक विशालकाय आकाशगंगा की खोज की है। यह आकाशगंगा ब्रह्मांड के बनने के ठीक 1.8 बिलियन वर्ष बाद (लगभग 12 बिलियन साल पहले) अस्तित्व में थी।
- इस गैलेक्सी ने इससे पहले इतने तारे बनाए जिनका द्रव्यमान 300 अरब सूरज के बराबर है। उस वक्त के बाकी गैलेक्सियों के मुकाबले ये 3 गुनी ज्यादा है। बिग बैंग के 1.8 अरब बाद जो भी गैलेक्सी बनीं, वो इतनी विशालकाय नहीं थी।
- लेकिन, दिलचस्प ये है कि इस गैलेक्सी ने सालाना 1000 सूरज के बराबर तारों को हर साल खुद से दूर खदेड़ना शुरू कर दिया। ये सिलसिला पिछले कई करोड़ साल से चल रहा है। शोधकर्ता माउरो जियावलिस्को के मुताबिक, "इस शोध में इस बात से परदा उठाया गया है कि अंतरिक्ष के शुरुआती दौर में तारों के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह की थी।"
- अंतरिक्ष विज्ञान के मुताबिक कोई भी गैलेक्सी उसी वक्त तक तारों का निर्माण करती है जब तक उसके भीतर ठंडी गैस प्रचूर मात्रा में बची रहती है।
- शोधकर्ताओं के मुताबिक इसी तरह की कई और गैलेक्सी हैं जिन्होंने करोड़ों तारों का निर्माण किया, लेकिन इनमें से कोई भी XMM-2599 के बराबर नहीं है। वैज्ञानिक अब एक दिलचस्प खोज में जुट गए हैं कि क्या इस तरह का ये इकलौता मामला है या फिर अंतरिक्ष की दुनिया का ये कोई नियम है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन योजना

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु 2019-2022 से 2023-24 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 नए एफपीओ के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक एफपीओ (Farmers Producer Organisation) के शुभारंभ वर्ष से पांच वर्षों तक के लिए सहायता जारी रखी जाएगी।

लाभ

- छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्द्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और विपणन को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है।
- एफपीओ के गठन के माध्यम से, किसान सामूहिक रूप से अधिक सुदृढ़ होने के साथ-साथ अधिक आय अर्जित करने हेतु अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तरों के लाभ के माध्यम से ऋण और बेहतर विपणन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद और प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने में सक्षम होंगे।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

- पांच वर्ष की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496.00 करोड़ रूपए के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्द्धन के लिए "कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक नवीन योजना, इसमें प्रत्येक एफपीओ को पाँच वर्षों के लिए आवश्यक सहयोग देने के लिए 2024-25 से 2027-28 की अवधि के लिए 2369 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देनदारी भी शामिल है।
- प्रारंभ में मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। हालांकि डीएसीएंडएफडब्ल्यू केन्द्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति के साथ आवश्यकता और अनुभव के आधार पर न्यूनतम सदस्यों की संख्यो में संशोधन कर सकता है।
- देश में आकांक्षापूर्ण जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ के साथ आकांक्षापूर्ण जिलों में एफपीओ के गठन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना नाबार्ड के सहयोग से चलाई जाएगी।
- किसानों की आय को दोगुना करने के संदर्भ में 2022 तक 7,000 एफपीओ के गठन की सिफारिश पर बल दिया गया है।

2. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रिपोर्ट

- जनवरी, 2020 में कच्चे तेल का उत्पातन 2696.77 टीएमटी का हुआ, जो तय लक्ष्य से 12.48 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि (जनवरी, 2019) में हुए उत्पादन के मुकाबले 5.30 फीसदी कम है। अप्रैल जनवरी, 2019-20 के दौरान कच्चे तेल का कुल उत्पादन 27072.34 टीएमटी का हुआ, जो तय लक्ष्य से 6.70 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए उत्पादन के मुकाबले 5.95 फीसदी कम है।
- जनवरी, 2020 में ओएनजीसी ने 1788.92 टीएमटी कच्चे तेल का उत्पादन किया जो मासिक लक्ष्य से 11.06 प्रतिशत कम है, लेकिन जनवरी, 2019 में हुए उत्पादन की तुलना में 1.24 प्रतिशत अधिक है।
- अप्रैल-जनवरी, 2019-20 के दौरान ओएनजीसी ने कुल मिलाकर 17175.88 टीएमटी कच्चे तेल का उत्पादन किया जो तय लक्ष्य से 5.48 प्रतिशत कम है और पिछले वर्ष की

समान अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में 2.82 प्रतिशत कम है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित हैं:

- एमओपीयू की अनुपलब्धता के कारण डब्ल्यूओ-16 क्लस्टर में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ।
- जल कटौती में वृद्धि के कारण मुम्बई हाई, हीरा, नीलम एवं बी-173ए, बी-127 क्लस्टर फील्ड में कम उत्पादन हुआ।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

- जनवरी, 2020 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2606.67 एमएमएससीएम का हुआ, जो इस महीने के लिए तय लक्ष्य के मुकाबले 13.49 फीसदी कम है और जनवरी, 2019 में हुए उत्पादन की तुलना में 8.26 फीसदी कम है।
- अप्रैल-जनवरी, 2019-20 के दौरान प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन 26427.23 एमएमएससीएम का हुआ, जो इस अवधि के लिए तय लक्ष्य से 7.74 फीसदी कम है और पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए कुल उत्पादन के मुकाबले 3.87 फीसदी कम है।

रिफाइनरियों में उत्पादन (प्रसंस्कृत कच्चे तेल की दृष्टि से)

- जनवरी, 2020 के दौरान रिफाइनरियों में उत्पादन 21679.19 टीएमटी का हुआ जो इस महीने के लिए तय लक्ष्य के मुकाबले 2.86 फीसदी कम है और जनवरी, 2019 में हुए उत्पादन की तुलना में 1.21 फीसदी कम है। अप्रैल-जनवरी, 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन 212064.08 टीएमटी का हुआ, जो इस अवधि के लिए तय लक्ष्य 9 से 0.54 फीसदी अधिक है, लेकिन पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए कुल उत्पादन के मुकाबले 1.19 फीसदी कम है।

3. 'एनीमल कल्चर'

- भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव सम्मेलन में पहली बार 'एनीमल कल्चर' को संरक्षण से जोड़ा गया है। आपसी सामाजिक व्यवहारों से जो पशु सीखते हैं, 'एनीमल कल्चर' के जरिये उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
- ऐसे सबूत मिले हैं कि व्हेल, डॉलफिन, हाथी और अन्य पशु सोशल लर्निंग के जरिये कुछ समझ और कुशलता अर्जित कर लेते हैं। कुछ पशु अपने समूह के बड़ों या साथियों से विभिन्न व्यवहारों के बारे में सीख लेते हैं, जिनमें इष्टतम प्रवासी मार्ग शामिल हैं।
- पूर्वी उष्णकटिबंधी प्रशांत स्पर्म व्हेल और नटक्रेकिंग चिंपेंजी के संरक्षण विषयक ऐसे दो प्रस्ताव गांधी नगर में चल रहे जंगली पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के सम्मेलन (सीएमएस कॉप 13) में प्रतिनिधियों के सामने पेश किये गये।
- स्पर्म व्हेल के लिए संगठित कार्रवाई चार उप-प्रजातियों की जटिल सामाजिक संरचना का संज्ञान लेती है। उनका नाभिक डीएनए एक-दूसरे से अधिक भिन्न नहीं है, लेकिन उनके स्वरोच्चारण में काफी अंतर है, जिससे पता चलता है कि इन्हें सामाजिक आदान-प्रदान तथा सीखने के जरिये ही अर्जित किया जा सकता है।
- ध्वनि संबंधी और फोटोग्राफिक रिकार्डों के जरिये डाटा संकलन से संरक्षणकर्ताओं को सभी उप-प्रजातियों के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह समझने में मदद मिल सकती है। प्रस्तावित संरक्षण उपाय ज्ञान अंतराल को कम करने के लिए अनुसंधान और सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान का आह्वान करता है।
- नटक्रेकिंग चिंपेंजी के लिए की जाने वाली पहल उस प्रजाति की अनोखी तकनीकी संस्कृति को रेखांकित करती है। यह प्रजाति पत्थर या लकड़ी को हथौड़े और सिल के रूप में इस्तेमाल करके तरह-तरह की फलियां तोड़ने में सक्षम होता है।
- फलियां, पत्थर और लकड़ी आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं लेकिन इन्हें फलियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाली उप-प्रजातियां गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और आईवरी कोस्ट जैसे धुर पश्चिमी इलाकों में पाई जाती हैं, अफ्रीका के अन्य इलाकों में नहीं।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सांस्कृतिक क्षमता इन चिंपेंजियों को अपने प्राकृतिक वास में सूखे मौसम में खुद को बचाए रखने के काबिल बनाती है। जलवायु की वजह से वनस्पति में आने वाले इलाकों में चिंपेंजियों का ऐसा व्यवहार उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकता है।

4. 'प्रौद्योगिकी समूह' के गठन की मंजूरी

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त 'प्रौद्योगिकी समूह' के गठन की मंजूरी दी है। इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए

स्वदेशी रोड मैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

इस प्रौद्योगिकी समूह के कार्य के तीन स्तंभ इस प्रकार हैं- पूंजीगत सहायता, खरीदारी सहायता और अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव पर मदद करना।

प्रौद्योगिकी समूह निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगा:-

1. भारत के पास आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के सतत विकास के लिए नवीनतम तकनीकों के प्रभावी, सुरक्षित और संदर्भ के हिसाब से उपयोग के लिए आवश्यक नीतियाँ और रणनीतियाँ हों।
2. प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार को सलाह देना और सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान की रणनीतियाँ बनाना।
3. पूरे भारत में प्रौद्योगिकियों के अद्यतन नक्शे, इसके मौजूदा उत्पादों और विकसित की जा रही तकनीकों का रखरखाव करना।
4. चयनित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशीकरण रोडमैप विकसित करना।
5. सरकार को इसके प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता और खरीद रणनीति पर सलाह देना।

5. भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता

- भारत सरकार और विश्व बैंक ने 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका मुख्य उद्देश्य देश में भूजल के घटते स्तर को रोकना और भूजल से जुड़े संस्थानों को मजबूत बनाना है।
- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम को गुजरात, महाराष्ट्र हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जाएगा और यह 78 जिलों को कवर करेगा। इन राज्यों में प्रायद्वीपीय भारत के कठोर चट्टान वाले जलभृत और सिंधु-गंगा के मैदानी इलाके के कछारी जलभृत दोनों ही मौजूद हैं। विशेष मानदंडों के आधार पर इनका चयन किया गया जिनमें भूजल का दोहन एवं क्षरण, सुस्थापित वैधानिक एवं नियामकीय साधन, संस्थागत तैयारियां और भूजल के प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने से जुड़े अनुभव शामिल हैं।
- विदित हो कि पिछले कुछ दशकों में लाखों निजी कुओं के निर्माण के जरिए भूजल के दोहन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 1950 और वर्ष 2010 के बीच ड्रील किए गए नलकूपों की संख्या 01 मिलियन से बढ़कर लगभग 30 मिलियन हो गई।
- इससे भूजल संचित क्षेत्र को लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 35 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक के स्तर पर पहुंचाना संभव हो गया।
- भूजल मौजूदा समय में लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई जल मुहैया कराता है। भारत में 80 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण एवं शहरी घरेलू जलापूर्ति भूजल के जरिए संभव हो रही है। इस आधार पर भारत पूरी दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- यदि वर्तमान रुझान आगे भी जारी रहता है तो 60 प्रतिशत जिलों में दो दशकों के भीतर ही भूजल में हो रही कमी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी और वैसी स्थिति में कम-से-कम 25 प्रतिशत कृषि उत्पाादन जोखिम में पड़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन से भूजल संसाधनों पर वर्तमान दबाव काफी अधिक बढ़ जाएगा।
- इस तरह के प्रबंधन वाले उपायों से उपयोगकर्ताओं को खपत के रुख से अवगत होने में मदद मिलेगी और ऐसे आर्थिक उपायों का मार्ग प्रशस्त होगा जिनसे भूजल की खपत में कमी आएगी।

6. जनजातीय समुदायों की पर्यावरणीय नैतिकता

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामनगर में आयोजित वार्षिक आदिवासी महोत्सव के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषित पर्यावरण से त्रस्त विश्व, जब प्रकृति सम्मत स्थाई विकास के रास्ते खोज रहा है, हमारे जनजातीय समुदायों के पास, पीढ़ियों के अनुभव से प्राप्त वह ज्ञान और विद्या है जो भविष्य के लिए स्थाई, समावेशी और प्रकृति सम्मत विकास सुनिश्चित कर सकता है।
- उन्होंने कहा कि इन समुदायों ने पीढ़ियों से एक पर्यावरणीय नैतिकता, Environmental Ethics, विकसित की है, जो आज के तथाकथित सभ्य समाज के लिए भी अनुकरणीय है।
- उपराष्ट्रपति ने अपेक्षा व्यक्त की कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समुदाय को ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी परिचित कराया जाय।

- राष्ट्रपति ने इस वर्ष के अपने अभिभाषण में इस वर्ष 400 एकलव्य विद्यालयों के निर्माण की घोषणा की है। जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की घोषणा की गई है।
- उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि जनजातीय शिल्प, वस्त्रों, वन उत्पादों और युवाओं की उद्यमिता को आवश्यक बाजार उपलब्ध कराने के लिए, खादी ग्रामोद्योग के विस्तृत नेटवर्क से ट्राइफेड (TRIFED) को जोड़ना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ई-कॉमर्स (E COMMERECE) के आने से बाजार को और भी विस्तृत किया जा सकता है।
- इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि हमारे अकादमिक और बौद्धिक विमर्श में जनजातीय पारंपरिक ज्ञान परम्परा पर शोध किया जाना जरूरी है अन्यथा ये समृद्ध परंपरा लुप्त हो जाएगी। विगत 50 वर्षों में भारत में लगभग 250 भाषाएं और बोलियां विलुप्त हो गई हैं और इनमें से अधिकांश बोलियाँ जनजातीय समुदायों की हैं। उन्होंने कहा कि एक भाषा के लोप के साथ ही एक सभ्यता, एक संस्कृति की सृजनात्मक परम्परा का अवसान होता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की कि वे स्थानीय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और शोध का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की प्राचीन सभ्यता, उसके इतिहास के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमारे जनजातीय समुदाय वास्तव में उन प्राचीन संस्कारों को अपने जीवन में जीते हैं। प्रकृति को माता के रूप में देखना उसकी असीम शक्तियों में ममता को देखना, उसे आदरपूर्वक पूजना-ये संस्कार हमें स्थानीय जनजातीय समुदायों से ही प्राप्त हुए हैं।
- देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि वस्तुत: हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरूआत भी, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी के स्थानीय जनजातीय आंदोलनों से ही हुई जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के शोषणकारी, क्रूर चरित्र को उजागर किया। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रानी अवंतीबाई की वीरता को हर पीढ़ी के लिए वंदनीय बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन आंदोलनों को हमारे इतिहास में स्थान मिलना चाहिए, तभी हमारा इतिहास सम्पूर्ण और समावेशी होगा।
- उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि आदिवासी महोत्सव के आयोजन से प्राचीन सतपुड़ा पहाड़ों की तलहटी में नर्मदा के समीप बसा, गौंड राजाओं का यह ऐतिहासिक क्षेत्र, पर्यटन का केन्द्र बनेगा, जिससे न केवल इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, बल्कि अन्य क्षेत्र के देशवासियों को यहां की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में जानकारी मिलेगी।

7. संयुक्त अनुसंधान तथा शिक्षण कार्यक्रम

- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव तथा बरमिंघम विश्वविद्यालय के चांसलर लॉर्ड करन बिलिमोरिया ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान (एनआरटीआई) द्वारा अकादमिक वर्ष 2020-21 में रेलवे प्रणाली इंजीनियरिंग तथा एकीकरण विषय में संयुक्त मास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की।
- यह कार्यक्रम एम.एससी. की दोहरी डिग्री प्रदान करेगा। एनआरटीआई के विद्यार्थी प्रत्येक संस्थान में एक वर्ष के अध्ययन के बाद दोनों संस्थानों से दो स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट (पीजी सर्ट) के रूप में ऑनलाइन प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम के कुछ मॉड्यूलों में लचीलापन और एनआरटीआई में बरमिंघम विश्वविद्यालय की फैकल्टी द्वारा स्नातक शिक्षण के लिए समर्थन प्रदान करता है। यह कार्यक्रम एनआरटीआई विद्यार्थियों को बरमिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन (बीसीआरआरई) में रेलवे प्रणालियों की विश्वस्तरीय विशेषज्ञता तथा सुविधाओं से सम्पर्क प्रदान करके एनआरटीआई विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान की स्थापना डीम्ड (मानित) विश्वविद्यालय के रूप में की गई है और यह 2018 से संचालन में है। एनआरटीआई का उद्देश्य विभिन्न विषयों में स्कूल तथा विभागों के अतिरिक्त अंतरविषयी उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करना है जो परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोगी रूप में कार्य करेंगे।
- बरमिंघम विश्वविद्यालय वैश्विक रेल उद्योग को विश्वस्तरीय अनुसंधान, शिक्षा तथा नेतृत्व प्रदान करने के लिए 150 शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा प्रोफेशनल सेवा स्टॉफ के साथ बरमिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन (बीसीआरआरई) का घर है। बीसीआरआरई यूरोप में रेलवे अनुसंधान और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आधारित सबसे बड़ा केन्द्र है। यह केन्द्र जलवायु परिवर्तन, एयरोडायनामिक्स तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ मानक, विद्युत प्रणालियों तथा ऊर्जा उपयोग, रेलवे नियंत्रण और परिचालन सिमुलेशन में उच्च शिक्षा कार्यक्रम, अनुसंधान और नवाचार के साथ विश्वस्तरीय नई प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

आर्थिक समीक्षा खण्ड-II

1. भारत और संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)

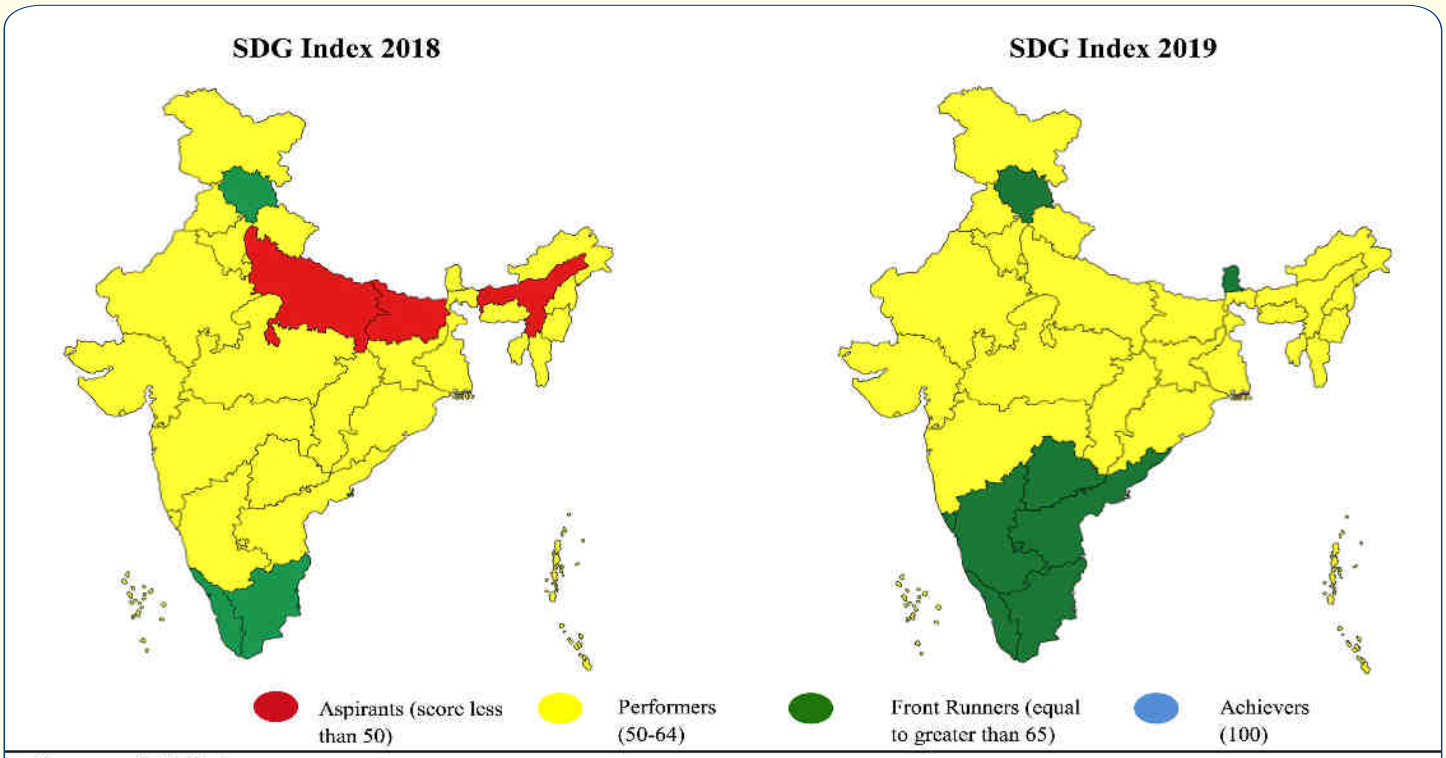

Source: NITI Aayog.

- वर्ष 2019 में संधारणीय विकास हेतु एजेंडा-2030 और पेरिस करार को अपनाने के चार वर्ष पूरे हो गए। ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग संवर्धन, कुपोषण निवारण, गरीबी उन्मूलन, सभी बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, सबके लिए स्वच्छता एवं आवासन, वैश्विक श्रम बाजार में स्पर्धा के लिए युवाओं का कौशल विकास, वित्त एवं वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता का विकास जैसी अपनी नीतियों में प्रतिष्ठापित समावेशी विकास हेतु सुविचारित पहलों के माध्यम से भारत 'संधारणीयता' के तत्व को आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
- संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के प्रयास वैश्विक स्तर पर इनकी सफलता में सहयोग करेंगे। भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में है जहां, विकास कार्यों के रहते-रहते, वन एवं वृक्ष आच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। अन्य कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने से पता चलता है कि भारत में वनाच्छादन में धनात्मक वृद्धि हो रही है।
- गौरतलब है कि एसडीजी प्राप्तांक 0 से 100 तक की सीमा में होते हैं। 100 अंकों के प्राप्तांक का अभिप्राय है कि ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं; 0 प्राप्तांक का अभिप्राय है कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तालिका में सबसे नीचे है।
- 65 या उससे अधिक प्राप्तांक वाले राज्य फ्रंट-रनर (हरे रंग में) जाने जाते हैं; इसी प्रकार 50-64 प्राप्तांक श्रेणी वाले राज्यों (पीले रंग में) को निष्पादनशील तथा 50 से कम प्राप्तांक वालों (लाल रंग में) को आकांक्षी माना जाता हैं।
- एसडीजी इंडेक्स के अनुसार, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ और पुदुचेरी फ्रंट-रनर के रूप में हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वर्ष 2019 में आकांक्षी की श्रेणी में नहीं है। समग्र रूप में, यह नोट करना उत्साहजनक है कि भारत के लिए समग्र प्राप्तांक वर्ष 2018 में 57 से सुधरकर वर्ष 2019 में 60 हो गया है जो संकेत हैं कि देश ने एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी यात्रा में प्रभावी प्रगति की है।

2. भारत की ग्रीन हाऊस गैस इनवेंट्री

- भारत ने देश की विकासात्मक आवश्यकताओं/ अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौते के तहत ''सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार'' पर अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया।
- अपने एनडीसी में, भारत ने वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी में उत्सर्जन की तीव्रता के स्तर को 33 से 35% कम करने; वर्ष 2030 तक कुल बिजली उत्पादन स्थापित क्षमता का 40%, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने तथा इसके वन एवं वृक्ष आच्छादन को बढ़ाकर 2-5 से 3 बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कार्बन सिंक के निर्माण का वादा किया है।
- पेरिस समझौते को वर्ष 2020 के बाद की अवधि में पेरिस समझौते की कार्य-योजना के तहत अपनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाना है।

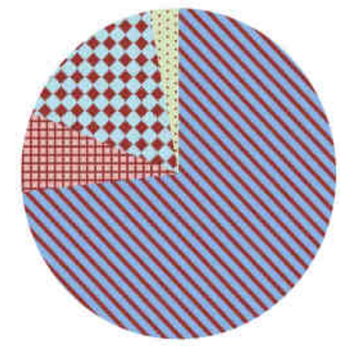

Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

- गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी को वर्ष 2014 में, समग्र पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से (1) 100% वैज्ञानिक ठोस कचरा/ अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और (2) शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। पांच वर्षों की अवधि में, मिशन ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सभी 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ओडीएफ हो गए हैं और अपशिष्ट प्रसंस्करण की प्रतिशतता, जो वर्ष 2014 में लगभग 18% थी, बढ़कर 60% हो गई।
- भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 450 गीगावॉट विद्युत उत्पादित करने की घोषणा की है, जोकि भारत के जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय और निरंतर कार्यवाही का ही परिणाम है।

3. फसल अवशिष्टों का जलाया जाना

- खेतों में फसल (कृषि) अपशिष्टों को जलाया जाना एक ऐसा कार्य है जिससे पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भारत के अधिकांश वार्षिक फसल पद्धति वाली खेती के साथ दूसरी सबसे बड़ी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण, यहाँ पर फसल अवशेषों सहित बड़ी मात्रा में कृषि अपशिष्ट बच जाते हैं।

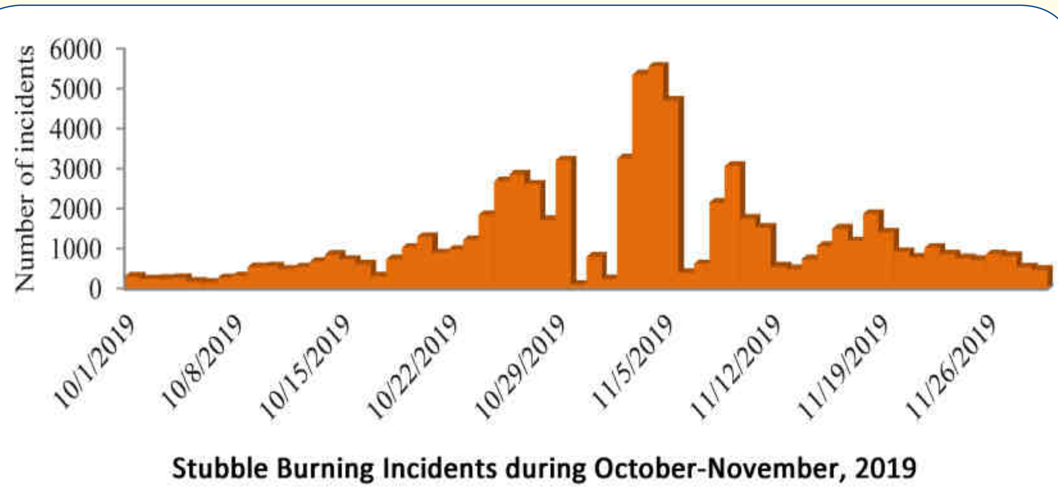

Stubble Burning Incidents during October-November, 2019
Source: NASA.

- भारत के उत्तरी राज्यों, जैसे-पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलायी जाती है, हालांकि, देश में जलाए जाने वाले फसल अवशेषों में से लगभग 50 प्रतिशत अवशेष चावल की फसल के होते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग से फसल अवशेष खेतों में ही छूट जाते हैं तथा खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने के सरलतम तरीके के रूप में किसान इन अवशिष्टों को जला देते हैं। देश में लगभग 178 मिलियन टन फसल अवशेष उपलब्ध होते हैं।
- अक्टूबर और नवंबर, 2019 में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। इसके कारण दिल्ली में सितंबर, 2019 की तुलना में अक्तूबर और नवंबर माह में पीएम 2-5 और पीएम 10 में वृद्धि हुई है, सितंबर माह में पीएम 10 और पीएम 2-5 का उच्चतम स्तर क्रमशः 134 और 80-34 था।
- इसी प्रकार, अक्टूबर माह में पीएम 2-5 का उच्चतम स्तर 306 था, जो सितंबर के आंकलन की तुलना में अधिक है। नवंबर माह में पीएम 10 तथा पीएम 2-5 क्रमशः 550 और 510 से अधिक हो गया था।

4. कृषि ऋण संवितरण

- वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है तथा 30 नवबंर 2019 तक 9,07,843-37 करोड़ रुपये का संवितरण हो चुका है।
- भारत में कृषि उधार का क्षेत्रीय वितरण अत्यन्त विषम है। यह देखा जाता है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी एवं पूर्वी राज्यों में ऋण निम्न है।
- कुल कृषि ऋण संवितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) खरीफ 2016 सत्र से क्रियान्वित हो चुकी है। यह प्राकृतिक गैर परिहार्य जोखिमों के विरूद्ध बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है।
- पीएमएफबीवाई में देश में सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) के मौजूदा 23 प्रतिशत क्षेत्र से बढ़ाकर 50 प्रतिशत क्षेत्र करने की कल्पना की गई है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान दो बड़े राज्यों नामत: महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में एवं वर्ष 2018-19 में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में ऋण माफी योजना की घोषणा के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

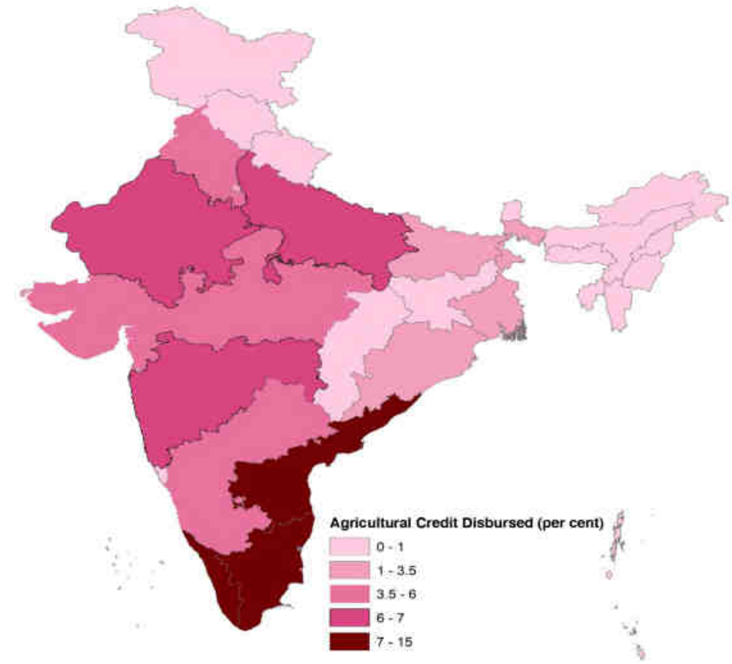

Source: Based on the data from DAC&FW

- किसानों की सहायता करने के लिए वर्ष 2017 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीसी) प्रारंभ किया गया ताकि किसान सरकार द्वारा मिले लाभों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सके जिनका पंजीकरण अनिवार्य आधार संख्या के माध्यम से हुआ है।

5. आईटी-बीपीएम क्षेत्र का उप-क्षेत्र वार विभाजन

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन उद्योग, विगत दो दशकों से भारत के निर्यात का ध्वजवाहक रहा है और मार्च 2019 में इस उद्योग का आकार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया।
- यह क्षेत्र रोजगार वृद्धि और मूल्य वर्धन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है।
- वर्ष 2018-19 में आईटी-बीपीएम क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का अंश 51 प्रतिशत था। इसके बाद सॉफ्टवेयर व अभियांत्रिकी (20.6 प्रतिशत अंश) और बीपीएम सेवाएं 19.7 प्रतिशत थे।

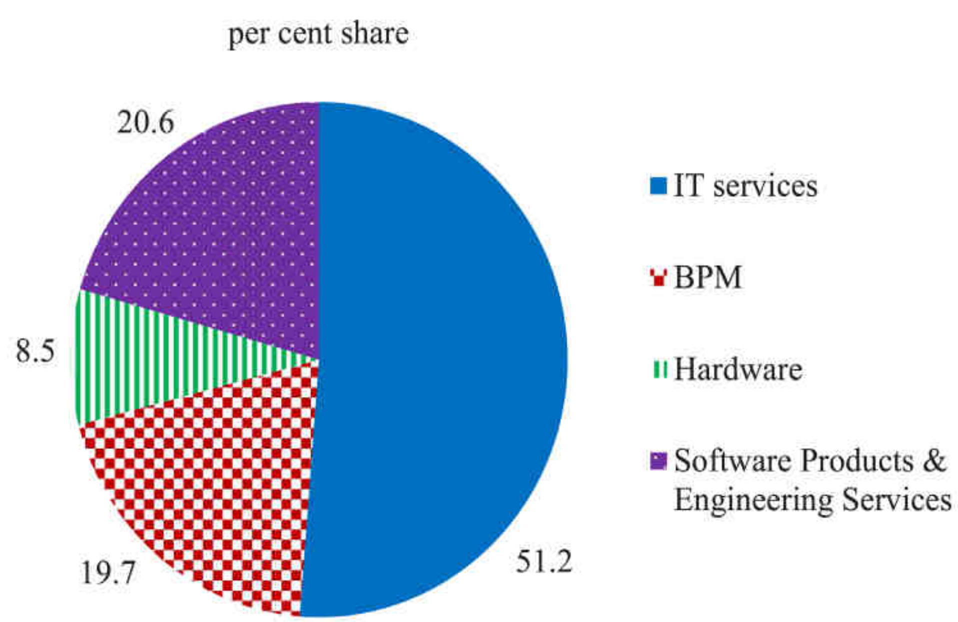

Source: NASSCOM.

- आईटी-बीपीएम क्षेत्र के अंतर्गत 91 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ आईटी सेवाएं 2018-19 में प्रमुख खण्ड बना रहा। आई टी सेवाओं में से, डिजिटल राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ बढ़कर 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया।

6. विद्युत क्षेत्र

- विद्युत क्षेत्र में निवेश लाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के कारण बीते वर्षों में भारत के विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। परिणामस्वरूप, विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएम) द्वारा प्रकाशित ऊर्जा परिवर्तन सूची में अपना स्तर सुधार कर 76वीं पायदान पर आ गया है।
- मार्च, 2019 की 3,56,100 मेगावाट की स्थापित क्षमता बढ़कर 31-10-2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई है।

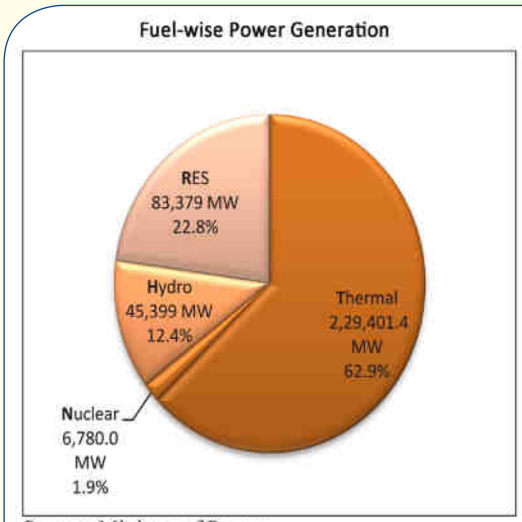

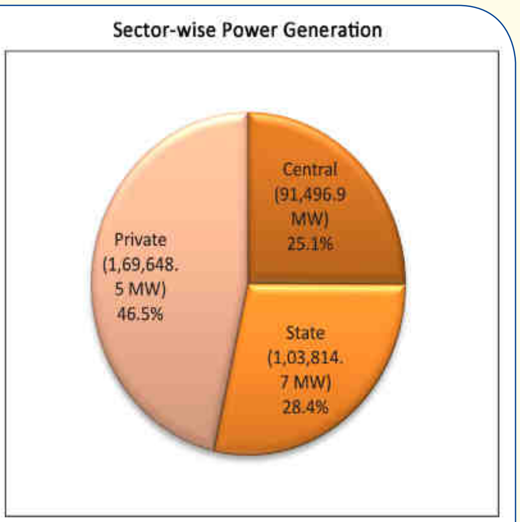

Source: Ministry of Power.
Note: RES- Renewable Energy Sources.

- ईंधन-वार एवं क्षेत्र-वार वितरण यह दर्शाता है कि तापीय विद्युत का हिस्सा कुल स्थापित क्षमता का 63% है। मोटे तौर पर तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता का आधा उत्पादन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि परमाणु शक्ति से विद्युत ऊर्जा का हिस्सा 1.9 प्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, 18 राज्यों ने 20 घंटे से अधिक की विद्युत आपूर्ति की सूचना दी है जबकि शेष राज्यों ने लगभग 15 घंटे या अधिक समय की विद्युत आपूर्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- भारत विश्व में यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है ।
- विश्व के 5.8 प्रतिशत मुख्य ऊर्जा उपयोग हिस्से के साथ, भारत की ऊर्जा आवश्यकता को मुख्यतः कोयला, कच्चा तेल, नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस द्वारा पूरा किया जाता है।
- तथापि, भारत का तेल उत्पादन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतम में से एक है और इसमें लम्बे समय से लगातार गिरावट आ रही वर्ष 2019-20 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 32-6 एमएमटी रहने का अनुमान है।

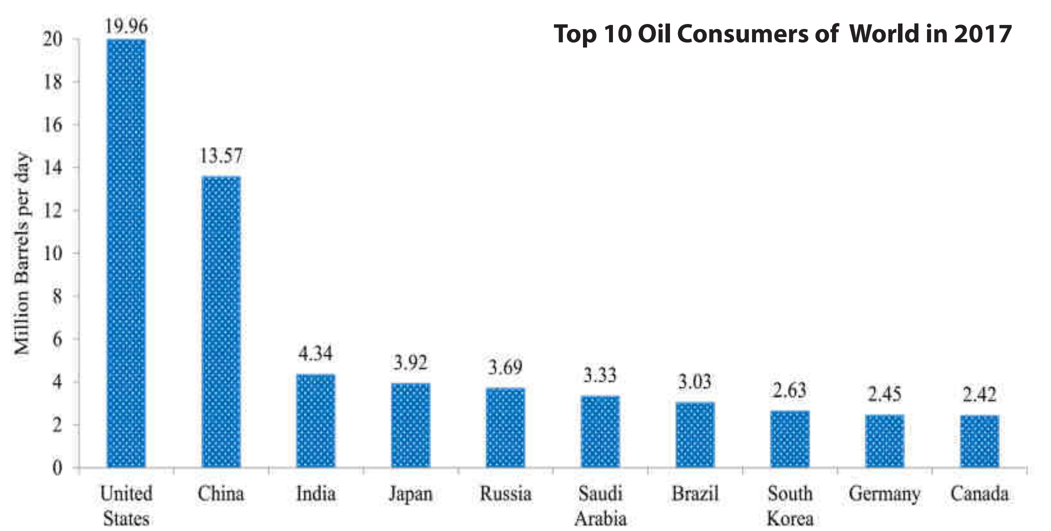

Source: US Energy Information Administration.
Note: Oil includes crude oil, all other petroleum liquids, and biofuels.

- उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल के तटवर्ती भंडारों में तीव्र गिरावट के साथ वर्ष 2014 से कच्चे तेल के स्थापित भंडारों में भी सहवर्ती गिरावट हुई है।
- इसमें 2018 के 594 एमएमटी के भंडार बढ़कर वर्ष 2019 में 619 एमएमटी हो गए हैं। वर्ष 2019 में कच्चे तेल के भण्डार की वृद्धि तटवर्ती एवं अपतटीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि के अनुरूप है, इसमें अपतटीय भण्डार में वृद्धि की दर अधिक रही।
- यह अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने, घरेलू एवं विदेश निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा क्षेत्रों से तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का परिणाम है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)
TARGET 2020

PROGRAMME OBJECTIVE

CAIPTS is a comprehensive and integrated program which will provide CSE Aspirants a good competitive environment, who are appearing in CSE-2020. In addition to this, an integrated guidance mechanism has been included in CAIPTS to keep the aspirants aligned with the true spirit of Civil Service Exam.

APPROACH ANALYSIS

Along with studying basics and reference books it is necessary to examine our knowledge through MCQs based questions which will help to build right attitude towards solving questions and reduce the rate of errors committed by aspirants.

For this, Dhyeya IAS brings "Comprehensive All India Prelims Test Series (CAIPTS)" for the aspirants which will provide a real time environment for upcoming civil services examination.

"Examine Yourself Before Examination"

Total 17 Tests

- ☑ Full GS & CSAT Tests
- ☑ 12 GS Tests + 5 CSAT Tests
- ☑ 2 GS & 2 CSAT Papers (Based on UPSC Previous Years Papers)

FREE GS MODEL TEST FOR ALL
16TH FEBRUARY 2020

Fee (inclusive of all taxes)

OFFLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 5,000/-
For Other Students	Rs. 7,000/-

ONLINE	
For Dhyeya IAS Students	Rs. 2,000/-
For Other Students	Rs. 4,000/-

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

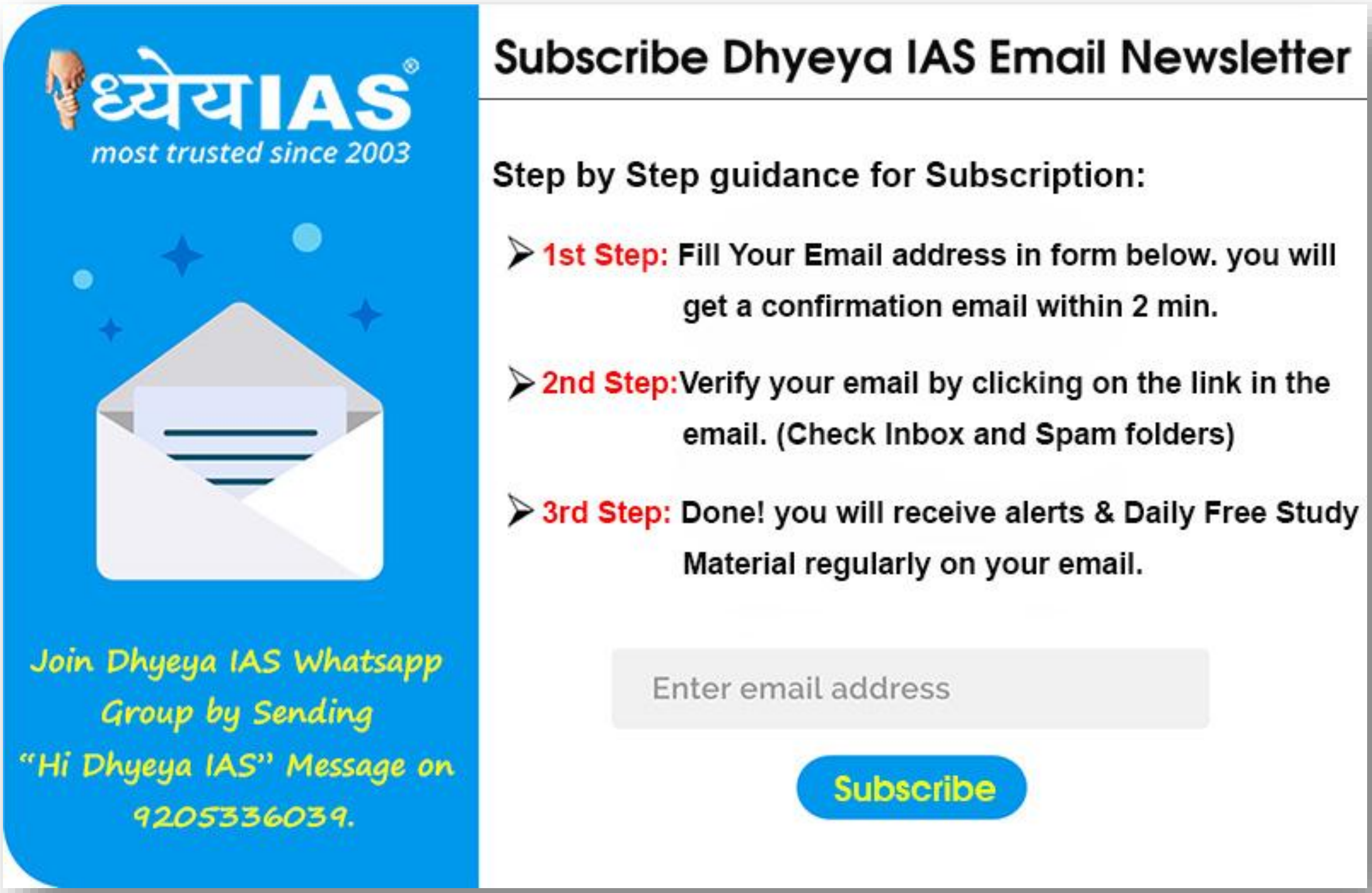

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400